श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 22.05.2002 से 31.03.2010

1 **(i) प्रारम्भिक :–**

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 के अर्न्तगत हिमाचल सरकार (भाषा एवं संस्कृति) की अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0–एफ(आई)1/2002, दिनांक 22.05.2002 के अनुसार श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा मन्दिर लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार मेहरा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, श्री कृष्ण लाल नेगी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री हितेश शर्मा अर्टिकल असिस्टैण्ट द्वारा दिनांक 03.01.2011 से 24.06.2011 के दौरान मन्दिर न्यास कार्यालय, त्रिलोकपुर तहसील नाहन, जिला सिरमौर में किया गया। माह 10/2002, 03/2004, 10/2004, 04/2005, 03/2007, 10/2007, 03/2009, 03/2010 की आय तथा माह 03/2003, 03/2004, 03/2005, 03/2006, 03/2007, 03/2008, 03/2009 व 03/2010 के व्यय का विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयन किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न मन्दिर आयुक्त एवं सहायक आयुक्त मन्दिर न्यास में कार्यरत रहे :–

मन्दिर आयुक्त

क्रम संख्या	नाम	कार्यकाल
1	श्री ओंकार चन्द शर्मा	19.04.2002 से 25.08.2003
2	श्री एम0एल0 शर्मा	25.08.2003 से 14.07.2005

3	श्री आर0एस0 नेगी	14.07.2005 से 18.01.2008
4	श्री पुष्पेन्द्र राजपूत	18.01.2008 से 18.06.2009
5	श्री दिनेश मल्होत्रा	18.06.2009 से 06.07.2009
6	श्री पदम सिंह चौहान	06.07.2009 से 29.01.2011

मन्दिर सह–आयुक्त

क्रम संख्या	नाम	कार्यकाल
1	श्री राकेश शर्मा	09.02.2001 से 13.01.2003
2	श्री मनमोहन शर्मा	13.01.2003 से 11.05.2006
3	श्री सुमित खिमटा	11.05.2006 से 26.02.2008
4	श्रीमति मीरा मोहन्ती	26.02.2008 से 31.01.2009
5	श्री अरूण कुमार शर्मा	31.01.2009 से 16.07.2010

(ii) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर तहसील नाहन, जिला सिरमौर के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 22.05.2002 से 03/2010 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सार :–

क्रम संख्या	पैरा संख्या	संक्षिप्त विवरण
1	4(ii)	50 ग्राम सोना की मात्रा वर्तमान बाजार मुल्य लगभग ₹1,50,000 है को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाना।
2	4(iv)	3262.600 ग्राम चांदी की मात्र जिसका वर्तमान बाजार मुल्य लगभग 1,83,000 है का स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाना।
3	7	₹23,39,504 का विज्ञापनों आदि पर अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय।

4	8	वित्तीय सहायता/दान के रूप में रेड़ क्रॉस सोसाईटी नाहन को ₹8,00,000 का अनियमित भुगतान किया जाना।
5	9	₹3,26,980 का भुगतान मन्दिर न्यास परिसर के अतिरिक्त अन्य विभागों को वस्तुओं अथवा रोंकड़ के रूप में अनियमित रूप से करना।
6	10	₹168333/– का कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन/भत्तों के रूप में सम्भावित अधिक भुगतान।
7	11	मकान भत्ते के रूप में ₹40358 का अधिक भुगतान।
8	15	₹76,146 का मोबाईल बिल के रूप में अधिक भुगतान।
9	16	मोबाईल हैण्डसेटस की खरीद हेतु ₹78,170 का भुगतान अनियमित रूप से किया जाना।
10	17	न्यास द्वारा आबंटित आवास में लगे मीटर पर न्यास निधि से बिजली के बिलों के रूप में ₹31,501 का अनुचित भुगतान।
11	18	वाहन संख्याः एच0पी0–18–0178 के हस्तांतरण पर ₹25,000 कम प्राप्त करना।
12	19	अधिकारियों/कर्मचारियों को आबंटित किए गए आवासों के एवज़ में लाईसैन्स शुल्क के रूप में ₹17,108 की वसूली न करना।
13	23(ii)	स्टील वर्क (रेलिंग) की गलत मात्रा दर्शाए जाने के फलस्वरूप स्टील की 642 कि0ग्रा0 मात्रा की खपत (जिसका बाजार मुल्य ₹32,100 बनता है) अधिक दर्शाना।
14	25	निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय ₹4,18,81,838 से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में।
15	26	निर्माण कार्य का प्रारूप तैयार करने हेतु ₹3,08,677 का अनियमित भुगतान।
16	27	निर्माण सामग्री की खरीद के दौरान ₹44,755 का अधिक भुगतान।

17	29	₹1,27,964 की वस्तुओं का स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना।
18	30	बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किए माह 03/10 में सैनिटरी आईटम की ₹1,38,556 की खरीद छोटे–छोटे बिलों के माध्यम से करने के बारे में।
19	31	₹7,15,356 की वस्तुओं की खरीद खुले बाजार से बिना निविदाएं आमन्त्रित किए करना।
20	33	₹71,31,431 के बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
21	34	मन्दिर के जीर्णोद्धार कार्य (Miniature work) के लिए ₹1,50,000 का अनियमित रूप से भुगतान करना।
22	36	निविदाएं आमन्त्रित किए बगैर ₹1,69,729 के टैलिविज़न सैटस की खरीद करके अनियमित रूप से भुगतान करना।
23	39	विभिन्न अग्रिमों के रूप में ₹21,90,384 वसूली योग्य शेष के बारे में।
24	40	यात्री निवास के कमरों के किराये के रूप में ₹8,25,000 कम प्राप्त करने बारे।
25	41	मन्दिर न्यास परिसर के छोटे मन्दिरों की त्रृटिपूर्ण तरीके से सरकारी बोली से भी कम नीलाम करने के फलस्वरूप ₹2,43,400 की हानि।
26	42	मन्दिर न्यास में मेलों के दौरान नीलाम किए गए छोटे मन्दिरों से सम्बन्धित नीलामी की ₹4,30,852 संविदाकारों से कम प्राप्त करना।
27	44	मन्दिर न्यास में प्राप्त आय से कम ₹34,377 रोकड़ बही में दर्शाना।
28	48	आयकर विभाग से ₹78,410 का टी0डी0एस0 का रिफण्ड न लेना।

2 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 22.05.2002 से 31.03.2010 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1,45,800 आंका गया। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्याः 214, दिनांक 24.06.2011 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के पक्ष में भेजने हेतु मन्दिर सहायक आयुक्त से आग्रह किया गया।

3 वित्तीय स्थिति :–

(i) मन्दिर न्यास के लेखे दोहरा लेखा पद्धति (Double Entry Accounting System) पर बनाए गए हैं तथा चार्टर्ड आकाऊंटैंट द्वारा आय–व्यय लेखे एवं तुलन पत्र इत्यादि वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं। मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत वर्ष वार आय–व्यय के सत्यापित लेखे तुलन–पत्र सहित वर्ष 2002–2003 से 2009–2010 तक परिशिष्ट ''1(क) से 1(प)'' पर संलग्न है तथा वर्षवार प्राप्तियों व अदायगियों तथा शेष राशि का विवरण परिशिष्ट ''1(फ)'' पर संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है।

क्र0 सं0	**बैंक का नाम व खाता संख्या**	**मन्दिर अभिलेख अनुसार शेष**	**बैंक में वास्तविक शेष**	**अन्तर**
(1)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक त्रिलोकपुर खाता संख्याः 1	97,62,143.80	1,03,35,066.80	5,72,923

₹5,72,923 के अन्तर के निम्न कारण थे :–

(+) ₹5,90,614/– के जारी चैक जिनकी दिनांक 31.03.2010 तक बैंक द्वारा अदायगी नहीं की गई थी

(विवरण परिशिष्ट ''2–(क)(1)'' में दिया गया है)

(–) ₹17,691/– चैक जो नोन–कलैक्शन के कारण बैंक खाते में जमा नहीं हो पाए थे (विवरण परिशिष्ट 2(क)(2) में दिया गया है)

(2)	पंजाब नैशनल बैंक नाहन हिमाचल प्रदेश खाता संख्या 01207529	4,94,851.85	5,91,897.85	97,046

(₹97,046 के अन्तर के निम्न कारण थे

जारी चैक जिसकी दिनांक 31.03.2010 तक बैंक द्वारा अदायगी नहीं की गई थी (विवरण परिशिष्ट ''2(ख) में दिया है)

(3)	पंजाब नैशनल बैंक नाहन हि0प्र0 खाता संख्याः 18 (Credit Balance)	(–) 38,076	(–) 11,452 (Over Draft)	(–) 49,528

(₹49,528 की अन्तर के कारण :–

जारी चैक जिनकी बैंक द्वारा अदायगी नहीं की गई थी परिशिष्ट ''2(ग)'')

(4)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नाहन, हि0प्र0 खाता संख्याः 052	51,831	83,456	31,625

(₹31,625 के चैक जिसकी बैंक द्वारा अदायगी नहीं की गई थी परिशिष्ट ''2(घ)'')

(5)	एच0डी0एफ0सी0 नाहन, खाता संख्याः 13	6,61,081	11,84,764	5,23,683

(₹5,23,683/– के चैकस की बैंक द्वारा 31.03.2010 तक अदायगी नहीं की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट ''2(ङ)'' में दिया गया है

(6)	एस0वी0आई0 नाहन खाता संख्याः	2,410.06	–	(–) 2410.06

(इस खाते की पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।)

(ii) निवेश :– श्री महामाया मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा निम्न राशियां दिनांक 31.03.2010 तक सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश की गई दर्शाई गई थी

(1)	हिमाचल प्रदेश को–ऑपरेटिव बैंक में सावधि जमा	₹10,00,000
(2)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में सावधि जमा	₹30,00,000
(3)	पंजाब नैशनल बैंक में सावधि जमा	₹14,20,000
		₹54,20,000

नोट :– उपरोक्त सावधि जमा के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका, जो आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 सोने–चांदी के स्टॉक लेखे व पाई गई अनियमितताऐं :–

(i) श्री महामाया मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर में सोने–चांदी की स्टॉक स्थिति दिनांक 31.03.2010 तक निम्नलिखित थी :–

मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सोने के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाई गई है :–

अवधि	प्रारम्भिक शेष (ग्राम में)	प्राप्ति (ग्राम में)	ट्रेजरी में कम जमा करवाई गई सोने की मात्रा (ग्राम में)	अन्तिम शेष में (ग्राम में)	टिप्पणी
27.04.02 से 31.03.03	5175.50	571.50		5747.00	(अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सोने के स्टॉक की स्थिति तथा ट्रेजरी/ मैनेजर के पास जमा सोने की वर्षवार स्थिति
2003–2004	5747.00	719.70		6466.70	
2004–2005	6466.70	609.40		7076.10	

2005—2006	7076.10	743.60		7819.70	परिशिष्ट 3(क) से 3(ज) में दी गई है।)
2006—2007	7819.70	413.30		8233.00	
2007—2008	8233.00	631.00	(—) 50	8814.00	
2008—2009	8864.00	289.80		9103.80	
2009—2010	9103.80	269.50		9373.30	

नोट :— उक्त विवरण के अनुसार दिनांक 31.03.10 को सोने के स्टॉक रजिस्टर में अन्तशेष की स्थिति निम्न प्रकार दर्शाई गई थी :—

(1) ट्रेजरी में दिनांक 31.03.2010 तक जमा सोना	**9097.30 ग्राम**
(2) मन्दिर मैनेज़र के पास जमा सोना दिनांक 31.03.10	**276.00 ग्राम**
दिनांक 31.03.2010 तक दर्शाया जमा	**9373.30 ग्राम**

(ii) 50 ग्राम सोने की मात्रा, वर्तमान बाजार मुल्य लगभग ₹1,50,000 है को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाना :—

दिनांक 31.03.2010 को स्टॉक रजिस्टर में सोने की मात्रा 9373.300 ग्राम दर्शाई गई है जबकि वास्तव में यह मात्रा 9423.30 ग्राम होनी चाहिए थी अर्थात सोने की मात्रा 50 ग्राम कम दर्शाई है। स्टॉक रजिस्टर की विस्तृत जाँच में पाया गया कि दिनांक 18.04.2007 से 26.10.2007 तक 329.600 ग्राम सोने की प्राप्ति हुई थी तथा उसमें से 279.600 ग्राम सोना ट्रेजरी में जमा करवाया गया था तथा शेष 50 ग्राम सोना मन्दिर में जमा रहना चाहिए था परन्तु स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गए इन्द्राज अनुसार शेष 50 ग्राम सोने को मन्दिर शेष में जमा नहीं किया गया है इस प्रकार 50 ग्राम सोने की मात्रा को कम दर्शाया गया है तथा वास्तविक रूप से 50 ग्राम सोने की मात्रा का सम्भावित गबन/Pilferage किया गया प्रतीत होता है जिसका वर्तमान बाजार मुल्य ₹1,50,000 बनता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि 50 ग्राम सोने की कम मात्रा की भरपाई करके मन्दिर न्यास में जमा करवाई जाए या चूककर्त्ता से इसके सममुल्य (बाजार दर) के बराबर राशि वसूल कर अतिशीघ्र मन्दिर न्यास में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(iii) स्टॉक रजिस्टर के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा चांदी के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाई गई है :–

अवधि	प्रारम्भिक शेष (ग्राम में)	प्राप्ति (ग्राम में)	अन्तिम शेष (ग्राम में)	टिप्पणी
27.04.02 से 31.03.03	506967.400	42129.460	549096.860	(अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्राप्त चांदी के स्टॉक की स्थिति तथा ट्रेजरी/मैनेजर के पास वर्षवार स्थिति तथा चांदी पिघलाने की स्थिति/मात्रा का विवरण परिशिष्ट ''4(क) से 4(ञ)'' में दिया गया है।)
2003–2004	549096.860	107832.160	656929.020	
2004–2005	656929.020	47191.000	704120.020	
2005–2006	704120.020	86098.800	790218.820	
2006–2007	790218.820	97696.300 (+) 1955.700	889870.820	
		(–) Issued for Melting process during the year	(–) 327000.000	
			562870.820	
		(+)Pure Silver received after Melting process	(+) 197465.520	
		<u>(Net Balance as on 31-03-07)</u>	**<u>760336.340</u>**	
2007–2008	760336.340	98536.200	858872.54	
2008–2009	858872.54	83915.200	942787.74	
2009–2010	942787.74	82214.600	1025002.34	

चांदी की उपरोक्त विवरणानुसार दर्शाई गई मन्दिर न्यास के पास दिनांक 31.03.2010 की चांदी के शेष का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(1) ट्रेज़री/जिला कोषागार, नाहन में दिनांक 31.03.10 तक जमा चांदी 662165.280 कि0ग्रा0

(2) मन्दिर मैनेज़र के पास जमा चांदी

(क) मन्दिर में पत्तरों (नककासी) के रूप में लगाई गई चांदी	129890.000 ग्राम
(ख) प्रबन्धक/मन्दिर में 31.03.10 तक जमा चांदी	
(165371.540 ग्राम + 41622 ग्राम)	206993.540 ग्राम
(ग) मैं0 नवकार ज्वैलर्ज, अम्बाला शहर के पास शेष चांदी	25953.520 ग्राम
स्टॉक रजिस्टर अनुसार 31.03.2010 को कुल जमा	1025002.340 ग्राम

(iv) 3262.600 ग्राम चांदी की मात्रा जिसका वर्तमान बाज़ार मुल्य लगभग ₹1,83,000 है को स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाना :–

उपरोक्त वर्षवार विवरणानुसार 31.03.10 को स्टॉक रजिस्टर के अनुसार चांदी की मात्रा 1025002.34 ग्राम दर्शाई गई है जबकि वास्तव में चांदी का स्टॉक 1028264.940 ग्राम होना चाहिए था अर्थात चांदी की मात्रा 3262.600 ग्राम कम दर्शाई गई है। स्टॉक रजिस्टर की विस्तृत जाँच में पाया गया कि दिनांक 03.04.2007 से 11.10.2007 तथा दिनांक 12.10.2007 में 26.11.2007 के दौरान जिला कोषागार, नाहन में 37507.800 ग्राम चांदी जमा करवाई जानी दर्शाई गई है जबकि वास्तविक अभिलेख के सत्यापन पर पाया गया कि इस अवधि में केवल 34245.200 ग्राम चांदी ही वास्तविक रूप में जमा की गई है। इस प्रकार 3262.600 ग्राम चांदी मन्दिर प्रबन्धक खाते/मन्दिर में ही जमा रहनी चाहिए थी परन्तु स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गए इन्द्राज अनुसार इसे मन्दिर स्टॉक/मन्दिर प्रबन्धक के पास जमा नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार 3262.600 ग्राम चांदी का सम्भावित गबन किया गया प्रतीत होता है जिसका वर्तमान बाजार मुल्य लगभग ₹1,83,000 बनता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आश्य के साथ लाया जाता है कि उक्त 3262.600 ग्राम चांदी की आवश्यक छानबीन करके चूककर्त्ता से वसूल कर मन्दिर न्यास स्टॉक में जमा करवाई जाए या बाजारी दर पर इसके मुल्य का आंकलन करके सम्मुल्य राशि मन्दिर न्यास के खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(v) मन्दिर न्यास के स्टॉक रजिस्टर तथा मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट 4(क) से 4(ञ) के अनुसार प्रस्तुत चांदी के अन्तशेष में 18211.52 ग्रा0 चादी के अन्तर के बारे में :–

उपरोक्त पैरा 4(iii) के अनुसार मन्दिर न्यास के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 31.03.2010 को चांदी की मात्रा 1025002.34 ग्राम दर्शाई गई है जबकि मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट 4(क) से 4(ञ)

अनुसार प्रस्तुत चांदी के अन्तशेष में दिनांक 31.03.2010 को चांदी की मात्रा 1006790.82 दर्शाई गई है। इस प्रकार उक्त परिशिष्ट 4(क) से 4(ञ) में दिनांक 31.03.10 को चांदी की मात्रा (1025002.34 – 1006790.82 = 18211.52 ग्राम) कम दर्शाई गई है जिसके निम्नलिखित कारण पाए गए :–

(1)	दिनांक 31.03.2010 तक मैं0 श्री नवकार ज्वैलर, अम्बाला शहर, हरियाणा से शेष चांदी प्राप्त योग्य, जिसका विवरण परिशिष्ट 4(ठ) में दिया गया है जो दिनांक 31.03.2010 तक कहीं भी खाता में नहीं ली गई थी।	(+) 25953.520
(2)	वर्ष 2009–2010 में मैनेजर के पास चादी 4742.000 जमा की गई दर्शाई गई है जबकि यह चांदी परिशिष्ट 4(ट) अनुसार पहले ही कुल चांदी के पतरे (129890 ग्रा0) जो मन्दिर दिवारों पर लगाए गए। अतः इस में मैनेजर के पास जमा में सम्मलित है। उक्त चांदी (4742 ग्रा0) सही लेखाबद्ध की गई प्रतीत नहीं होती है।	(–) 4742.000
(3)	चांदी स्क्रेप का कुल योग जो परिशिष्ट 4(ञ) में 126836.600 दिखाया गया है जबकि वास्तविक रूप में निम्न दर्शाये गए विवरण के अनुसार स्क्रैप का योग 123836 बनता है।	

ट्रेजरी कॉलम	82214.600
मनेजर कॉलम	41622.000
	123836.600 ग्राम

इस प्रकार अधिक दर्शाई गई चांदी (126836.60 ग्रा0 – 123836.60 ग्रा0 = 3000 ग्रा0)	(–) 3000.000
कुल अन्तर	**18211.52 ग्रा0**

उपरोक्त अन्तर की मन्दिर न्यास स्तर पर जाँच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के चांदी के स्टॉक के सन्दर्भ में निम्नलिखित आपत्तियाँ/विसंगतियां पाई गई :–

(क) <u>129534.480 ग्राम चांदी का शुद्धीकरण प्रक्रिया में नष्ट हुआ दर्शाया जाना तथा शुद्धीकरण प्रक्रिया में निकाली गई खोट/आंशिक कटत मात्रा को अभिलेख में न दर्शाना</u> :–

श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा परिशिष्ट 4(ट) के अनुसार अवधि मई, 2002 से 31.03.2010 के दौरान दिनांक 12.06.06 तथा 23.06.06 को 327000 ग्राम अर्थात 3 क्विंटल 27 किलो चांदी पिछलाया गया, जिसमें से मात्र 197465.520 ग्राम चांदी न्यास को शुद्ध रूप में प्राप्त हुई शेष 129534.480 ग्राम चांदी की शुद्धीकरण प्रक्रिया में नष्ट हुआ दर्शाया है जो कुल जारी चांदी का 39% भाग बनता है लेकिन इस प्रक्रिया में इतनी ज्यादा मात्रा में चांदी का नष्ट होना तर्क संगत/सम्भव प्रतीत नहीं होता इसके अतिरिक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया में निकाला गया खोट/आंशिक घटक मात्रा किसी अन्य धातु के रूप में विद्यमान रहनी स्वभाविक थी तथा इसे गिल्ट अथवा अन्य धातु के रूप में जो भी वास्तविकता है, स्टॉक रजिस्टर में तदानुसार दर्शाया जाना चाहिए था जोकि नहीं दर्शाया गया है। अतः यह प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लया जाता है कि उकत प्रकरण में विभागीय स्तर पर आवश्यक जाँच करवाई जाए तथा परिणाम से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ख) M/s नक्कार ज्वैलर से शुद्ध शेष चांदी 6035.52 गाम वापिस लेने के बारे में :–

परिशिष्ट 4(ट) के अनुसार M/s नक्कार ज्वैलर से 6035.52 ग्राम शुद्ध चांदी ली जानी शेष है। ट्रस्ट द्वारा शेष चांदी को वापिस लिए जाने हेतु क्या प्रयास किए गए इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसकी शीघ्र वसूली/प्राप्ति हेतु प्रक्रिया अमल में लाई जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रकरण में त्वरित अपेक्षित कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ग) नक्काशित पतरों की गुणवता की जाँच न करवाना :–

अनुबन्ध (Agreement) के शर्त संख्याः 6 के अनुसार ज्वैलर द्वारा नक्काशित पत्तरों की गुणवता की जाँच अभिलेखों की जांच उपरान्त किसी भी एजैन्सी द्वारा नहीं की गई, जबकि शर्तानुसार 98% नक्काशित पतरों की शुद्धता अपेक्षित थी। अतः नक्काशित पत्तरों की शुद्धता की विहित शर्तों के दृष्टिगत जाँच करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) मन्दिर गर्भगृह में लगाए गए चांदी के नक्काशित पतरों की संख्या तथा बजन अलग–अलग न दिखाना :–

मन्दिर गर्भगृह में लगाये गए चांदी के नक्काशित पतरों की कुल संख्या एवं अलग–अलग पत्रों का वजन नहीं दर्शाया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि अलग–अलग पतरों के वजन दर्शाकर कुल जोडे 1,29,890 ग्राम की सक्षम प्राधिकारी की देख–रेख में पुष्टि करवाई जाए व सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी करते हुए अभिलेख में सुरक्षित रखा जाए।

5 मन्दिर न्यास द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमितिकरण के कारण उनको देय वेतन भत्तों के रूप में कुल आय पर पड़ने वाला कुल अनुपातिक दायित्व बढ़ने के बारे में :–

मन्दिर न्यास के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2005 से पूर्व मन्दिर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरूप/समरूप वेतन व भत्ते देय नहीं थे। वर्ष 2005 में आयुक्त मन्दिर न्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि मन्दिर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के समरूप वेतन व भत्ते दिए जाएं तथा अधिकतर कर्मचारियों को नियमित भी किया गया जिससे वेतन व भत्तों पर वर्ष 2005 के बाद दायित्व काफी बढ़ गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	कुल आय	वेतन/भत्तों पर व्यय	दायित्व प्रतिशतता
2005–2006	1,67,77,735.12	21,68,120.00	12.92%
2006–2007	2,98,42,711.00	32,76,947.00	10.98%
2007–2008	2,47,30,936.00	55,70,844.00	22.53%
2008–2009	3,47,08,542.00	56,25,272.00	16.21%
2009–2010	3,29,85,194.00	82,64,837.00	25.06%

उपरोक्त विवरण में यह स्वतः ही स्पष्ट होता है कि यद्यपि मन्दिर की आय में वृद्धि हुई है परन्तु अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों/संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 2006–2007 में प्राप्त आय का केवल 10.98% भाग ही वेतन भत्तों पर खर्च किया गया था परन्तु वर्ष 2009–2010 में उक्त खर्च बढ़कर लगभग 25.06% हो गया है।

6 **चल–अचल सम्पति का रख–रखाव न करना :–**

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं व पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के अनुच्छेद 6(डी) के अर्न्तगत न्यास द्वारा अधिग्रहण के समय तथा उसके बाद मन्दिर की चल सम्पति जैसे कि सोना, चांदी, मूर्तियाँ, आभूषण, महंगे स्टोन (पत्थर) एवम् नगीने, बर्तन तथा दूसरी चल सम्पति का पूर्ण विवरण बजन एवं मुल्यांकन सहित बनाया जाना अपेक्षित था जबकि मन्दिर न्यास द्वारा केवल सोने–चांदी का स्टॉक ही बनाया गया है शेष वस्तुओं जैसे मूर्तियाँ, आभूषण, मंहगे पत्थरों व बर्तनों के न तो स्टॉक में इन्द्राज किए गए हैं न ही प्राप्त की गई समस्त चल सम्पति का मुल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त अचल सम्पति जैसे कि मन्दिर न्यास की भूमि का मुल्यांकन भी नहीं किया गया है जबकि अनुच्छेद 6(ई) अनुसार अचल सम्पति का अनुमानित मुल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। अतः न्यास द्वारा चल एवं अचल सम्पति का मुल्यांकन न करना नियमों के विरूद्ध है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सुझाव दिया जाता है कि उक्त अपेक्षित अभिलेख शीघ्र तैयार किए जाएं व अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 **₹23,39,504 का विज्ञापनों आदि पर अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय :–**

श्री महामाया मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर के लेखे अवधि 04/2004 से 03/2010 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा विज्ञापनों अर्थात मन्दिर की गतिविधियों एवं विकास से सम्बन्धित विज्ञापन सामग्री को विभिन्न पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में छपवाने हेतु अप्रत्याशित रूप से निम्न विवरणानुसार ₹23,39,504 का भुगतान किया गया है।

वर्ष	विज्ञापन पर खर्च की गई राशि
2004–2005	3,13,406.00
2005–2006	9,70,324.00
2006–2007	2,66,935.00
2007–2008	1,77,456.00
2008–2009	1,59,783.00
2009–2010	4,51,600.00
	कुल खर्च ₹23,39,504.00

भुगतान किए गए बिल/वाऊचरों की जाँच–पड़ताल करने पर पाया गया कि विज्ञापन ऐसी पत्रिकाओं में छपवाये गए थे जिनका परिचालन स्थानीय था या कुछ ही प्रतियों तक सीमित था। इस प्रकार स्थानीय एव छोटे मेलों से सम्बन्धित छपने वाली पत्रिकाओं/समाचार पत्रों/स्मारिकाओं में विज्ञापन छपवाना तथा ऐसी पत्रिकाओं में विज्ञापन छपवाना जिनका परिचालन केवल कुछ ही लोगों तक सीमित हो, व्यापक प्रचार के उद्देश्य को निष्फल करता है। इस प्रकार मन्दिर न्यास निधि का अनावश्यक रूप से व्यय किया जाना प्रतीत होता है जिस बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय का एक समुचित भाग केवल विज्ञापनों पर ही व्यय किया जा रहा है जो कि मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति को भी अकारण कमज़ोर करता है व इस प्रकार वित्तीय अनुशासन का ह्रास हो रहा है, जिस बारे मन्दिर प्रशासन को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

8 वित्तीय सहायता/दान के रूप में रेड–क्रॉस सोसाईटी नाहन को ₹8,00,000 का अनियमित भुगतान किया जाना :–

मन्दिर न्यास के अवधि 05/2002 से 03/2010 के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रैड–क्रॉस सोसाईटी नाहन को निम्न विवरणानुसार दान स्वरूप/वित्तीय सहायता के रूप में ₹8,00,000 की राशि जारी की गई है :–

क्रम संख्या	चैक संख्या	राशि
1	1721070/10.12.2004	2,00,000
2	908201/06.08.2009	2,00,000
3	908208/22.09.2009	4,00,000
		कुल ₹8,00,000

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 में वर्णित प्रावधानों में इस प्रकार की राशि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार नियमों में प्रावधान की अनुपस्थिति में यह व्यय उचित नहीं ठहराया जा सकता। मन्दिर न्यास केवल मन्दिर परिसर के विकास हेतु, श्रद्धालुओं की सुविधा व विभिन्न सम्बद्ध प्रयोजनों हेतु ही मन्दिर न्यास निधि से राशि खर्च कर सकता है। अतः रैड–क्रास सोसाईटी नाहन को अनियमित रूप से जारी की गई

राशि का समर्थित नियमों सहित, औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा जारी की गई ₹8,00,000 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत किया जाए।

9 ₹3,26,980 का भुगतान मन्दिर न्यास परिसर के अतिरिक्त अन्य विभागों को वस्तुओं अथवा रोकड़ के रूप में अनियमित रूप से करना :–

मन्दिर न्यास के लेखावधि 05/2002 से 03/2010 के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास निधि से विभिन्न विभागों को विभिन्न वस्तुओं अथवा रोकड़ के रूप में भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	दिनांक	वस्तु का नाम संख्या	कार्यालय (जिसे वस्तु अथवा रोकड़ जारी की गई है)	राशि
1	09.06.2004	सोलर लाईटस (2 नम्बर)	उपायुक्त कार्यालय	6200
2	15.07.2004	बाटर पयूरीफाईर (1 नम्बर)	उपायुक्त कार्यालय	6590
3	30.03.2006	रोकड/चैक संख्या 004327 दिनांक 30.03.2006 पी0 एन0 बी0 (फर्नीचर की खरीद हेतु)	वन मण्डल अधिकारी नाहन	1,00,000
4	27.06.2005	कन्फरेन्स कुर्सिया (12 न0)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	15,600
5	23.02.2004	टेलीफोन इन्सटूमैन्ट (9 नं0)	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन	5,366
6	23.07.2002	बिजली का सामान	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन (आवास में)	4,535
7	23.07.2002	गिज़र (1 नम्बर)	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन (आवास में)	6,236
8	04/2006	वाटर पयूरीफाईर (1 नं0)	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन (आवास में)	2,750

9	21.04.2006	कप बोर्ड बनाने हेतु	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन	16,853
10	21.04.2006	वुडन पेन्लिग	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन	98,671
11	24.12.2006	टाईल का कार्य	उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन	11,217
12	01.06.2006	कम्पयूटर स्टेशनरी एवं मशीनरी	ई–गवर्नेस	14,375
13	31.03.2009	वाटर कूलर (2 नम्बर)	(1) कमाडैंट होम गार्ड नाहन (2) राजकीय संस्कृत महा विद्यालय नाहन	38,587
			कुल योग	**₹3,26,980**

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि समस्त वस्तुऐं अथवा रोकड़ का भुगतान विभिन्न विभागों अर्थात मन्दिर न्यास परिसर से बाहर के संस्थानों को किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 में दिए गए प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः विभिन्न विभागों को जारी की गई वस्तुओं के सम्बन्ध में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त वन विभाग को चैक संख्याः 004327, दिनांक 30.03.2006 (PNB) द्वारा जारी ₹1,00,000, ई–गवर्नेस को जारी किए गए कम्पयूटर सम्बन्धी सामान ₹14,375 व पुलिस विभाग को जारी कुर्सियें ₹15,600, कमांडेंट होम गार्ड नाहन तथा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय को जारी वाटर कुलर ₹38,587 व उप–मण्डलाधिकारी कार्यालय एवं उपायुकत कार्यालय को जारी सामान ₹1,58,418 की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस प्रकरण में की गई कार्रवाई से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ₹1,68,333.00 का कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन/भत्तों के रूप में सम्भावित अधिक भुगतानः–

मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर द्वारा पांचवें वेतन आयोग द्वारा जारी संशोधित वेतनमानो को हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के समरूप दिनांक 01.01.2006 से लागू करने के फलस्वरूप नए वेतनमानों में गलत/अधिक वेतन निर्धारण करने के कारण निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों का दिनांक 01.09.2009 से 31.03.2010 तक अधिक वेतन निर्धारण किया गया तथा दिनांक 01.01.2006 से 31.08.2009 तक बकाया वेतन/भत्तों की अधिक देय राशि बनाई

गई थी जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''5'' भाग (1 से 15 तक) दिया गया है। जिन अधिकारियेां/कर्मचारियों को गलत/अधिक वेतन निर्धारित किया गया है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम/पद	अधिक राशि		
		01.01.06 से 01.08.09 तक बकाया बनाई गई अधिक देय राशि	01.09.09 से 31.03.10 तक अधिक भुगतान	कुल अधिक राशि
1	श्री भरत सिंह, कन्डक्टर	6,003	807	6,810
2	श्री हरीश कुमार शर्मा, सहायक प्रबन्धक (लेखा)	33,735	5,730	39,465
3	श्रीमति सविता रानी, कनिष्ठ सहायक	11,984.60	2,557.20	14,542
4	श्रीमति सुशमा देवी, वरिष्ठ सहायक	14,380.20	1,955.70	16,336.00
5	श्री ब्रह्म दत्त ड्राईवर	11,821.40	2,373.80	14,195
6	श्री सुरेश कुमार, पुजारी	1,528	–	1,528
7	श्री नरेश कुमार	1,666	(–) 106	1,560
8	श्री राकेश शर्मा, क्लर्क	6,405.30	961.60	7,367
9	श्री विजय कुमार नेगी, ड्राईवर	257.60	(–) 15.20	242
10	श्री वेद प्रकाश पुजारी	15,570	1,225	16,795
11	श्री गीता राम, पुजारी	7,870	–	7,870
12	श्री गोपाल दत्त शर्मा, (सहायक प्रबन्धक) पुजारी	9,544.20	4,747.60	14,292
13	श्री दर्शन सिंह, ईलैक्ट्रिशियन	7,293	2,586	9,879

14	श्री चमन लाल, मिस्त्री	6,167	2,559	8,726
15	श्री प्रेम सिंह, चौंकीदार	6,167	2,559	8,726
		1,40,392.30	**27,940.70**	**1,68,333**

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण मन्दिर अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्भावित ₹1,68,333 का या अधिक भुगतान कर दिया गया है या भविष्य में किए जाने की सम्भावना है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार संस्था स्तर पर आवश्यक जाँच करके कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन को अब नियमानुसार ठीक किया जाए तथा सेवा पंजिकाओं में नियमानुसार प्रविष्टियाँ करके आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए तथा अधिक किए गए भुगतान की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

11 मकान भत्ते के रूप में ₹40,358 का अधिक भुगतान :–

अवधि 01.01.2006 से 31.07.2010 के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹40,358 मकान भत्ते के रूप में अधिक भुगतान किया गया है :–

क्र0 सं0	नाम	आहरित मकान भत्ता	देय मकान भत्ता	अवधि माह	अधिक अदायगी
1	श्री शाहीन वेग (सहायक अभियन्ता)	450	250	51 माह x 200	10,200
2	श्री विजय पाल (कनिष्ठ अभियन्ता)	300	200	51 माह x 100	5,100
3	श्री रमणदीप (माली)	150	125	51 माह x 25	1,275
4	श्री मस्त राम	150	125	51 माह x 25	1,275
5	श्री दुर्गा सिंह	150	125	51 माह x 25	1,275
6	श्रीमति शीला देवी	150	125	51 माह x 25	1,275
7	श्रीमति कमलेश देवी	150	125	51 माह x 25	1,275

8	श्री कैलाश (चैकीदार)	150	125	51 माह x 25	1,275
9	श्री धर्मवीर (सफाई कर्मचारी)	150	125	51 माह x 25	1,275
10	श्री बाबू राम (कुक) (22.05.07 से 31.12.08)	150	125	19.3 माह x 25	483
11	श्री रमेश चन्द (कुक) (22.05.07 से 31.12.08)	150	125	19.3 माह x 25	483
12	श्री वीरबल (कुक) (22.05.07 से 31.12.08)	150	125	19.3 माह x 25	483
13	श्री दिलशाद कुरेशी (सर्वेयर)	200	150	51 माह x 50	2,550
14	श्री सुरेन्द्र सिंह (सेवादार)	150	125	51 माह x 25	1,275
15	श्री विक्रम सिंह	150	125	51 माह x 25	1,275
16	श्री धनी राम (बेलदार) (27.02.07 से 31.03.10)	150	125	37.07 माह x 25	927
17	श्री नेरश कुमार (बेलदार) (27.02.07 से 31.03.10)	150	125	37.07 माह x 25	927
18	श्री वीरू राम (बेलदार) (27.02.07 से 31.03.10)	150	125	37.07 माह x 25	927
19	श्री सतीश कुमार, बेलदार (27.02.07 से 31.03.10)	150	125	37.07 माह x 25	927
20	श्री मति जमीरो देवी (सफाई कर्मचारी)	150	125	51 माह x 25	1,275
21	श्रीमति माया देवी कहार कम फलेरा	150	125	51 माह x 25	1,275
22	श्रीमति विमला देवी (सफाई कर्मचारी) (01.01.06से28.02..10)	150	125	51 माह x 25	1,250
23	श्रीमति कौशल्या देवी (16.10.06 से 31.03.10)	150	125	41.5 माह x 25	1,038

24	श्री सन्तोष कुमारी (सफाई कर्मचारी)(16.10.06 से 31.03.10)	150	125	41.5 माह x 25	1,038
				Total	**₹40,358**

इस प्रकार उक्त कर्मचारियों को मकान भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹40,358 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मकान भत्ते की अदायगी हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना फिन(सी)(वी)(7)11/98, दिनांक 08.12.99 अनुसार विनियमित की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 **गलत वेतन निर्धारित करके सेवा पंजिका में गलत इन्द्राज करना** :–

निम्न अधिकारियों का वेतन नए वेतन मान लागू करने के फलस्वरूप गलत निर्धारण करके सेवा पंजिकाओं में गलत इन्द्राज किया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर0) बी(7)–1/2009, दिनांक 26.08.2009 के अनुसार सही वेतनमान निर्धारित करके सेवा पंजिकाओं में भी तदानुसार इन्द्राज किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं :–

(1) श्री शाहीन वेग, सहायक अभियन्ता

(2) श्री विजय पाल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता

(3) श्री रमन दीप, माली

(4) श्री बबू सिंह (अशीष) माली

(5) श्री मस्त राम, सेवादार

(6) श्री दुर्गा सिंह

(7) श्रीमति माया देवी, कहार

(8) श्री काला सिट माली

उपरोक्त सभी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करके तथा सेवा पंजिकाओं में इन्द्राज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय लेखा–परीक्षा में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 **सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव सही तरीके से नहीं किया गया है। सेवा पंजिकाओं के विभिन्न भाग सही तरीके से तैयार नहीं किए गए हैं अर्थात वेतन, वेतन निर्धारण के आदेश का नियमानुसार इन्द्राज नहीं किया गया है तथा छुट्टियों के खाते भी नियमानुसार नहीं बनाये गए हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। सेवा पंजिकाओं में पाई गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में अंकेक्षण दल द्वारा पंजिकाओं में सुधार करने के लिए अधियाचना संख्याः 196/ऑडिट/2009–2010, दिनांक 21.04. 2010 द्वारा आवश्यक सुधार हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु न्यास द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक इस कार्य के लिए कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी।

14 **अधिक अर्जित अवकाश जमा करने बारे :–**

निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाओं में अर्जित अवकाश अधिक जमा किए गए दर्शाए गए हैं क्योंकि नियमानुसार अर्जित अवकाश 2½ दिन प्रत्येक मास के लिए देय बनते थे। अतः इस सन्दर्भ में अधिक जमा दर्शाए गए अर्जित अवकाश का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अब नियमानुसार आंकलन करके ठीक इन्द्राज किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	अवधि जिसके लिए अर्जित अवकाश जमा किए गए हैं	जमा किए अर्जित अवकाश	देय अर्जित अवकाश	अधिक जमा
1	श्री नरेश कुमार	18.08.05 से 31.12.05	15 दिन	11 दिन	4 दिन
2	श्री विजय पाल सिंह	01.08.05 से 31.12.05	15 दिन	13 दिन	2 दिन
3	श्री धर्मवीर सिंह	27.02.07 से 30.06.07	15 दिन	10 दिन	5 दिन
4	श्री नरेश कुमार बेलदार	27.02.07 से 30.06.07	15 दिन	10 दिन	5 दिन
5	श्री वीरू राम	27.02.07 से 30.06.07	15 दिन	10 दिन	5 दिन
6	श्री सतीश कुमार	27.02.07 से 30.06.07	15 दिन	10 दिन	5 दिन

उपरोक्त प्रकरण उदाहरण मात्र है तथा शेष पंजिकाओं में भी छुट्टी के खातों की जाँच संस्था स्तर पर करके तथा पाई गई त्रुटियों में आवश्यक सुधार करके आगामी अंकेक्षण के समय सेवा पंजिकाएं सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएं।

15 ₹76,146 का मोबाईल बिल के रूप में अधिक भुगतान :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल फोन की सुविधा प्रदान की गई है :–

(1) आयुक्त मन्दिर न्यास

(2) सह–आयुक्त मन्दिर न्यास

(3) श्री शाहीन वेग, सहायक अभियन्ता, मन्दिर न्यास

(4) श्री रूप राम नेगी, प्रबन्धक मन्दिर न्यास

(5) श्री हरीश कुमार शर्मा, सहायक प्रबन्धक (लेखा)

उपरोक्त कर्मचारियों को मोबाईल के वास्तविक बिलों के आधार पर प्रति माह भुगतान/प्रतिपूत्रि की गई है (जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''6'' भाग (1 से 3) में संलग्न है। नियमानुसार मोबाईल बिलों का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः फिन–1(सी)–14–1/92, दिनांक 25.05.2006 व 01.08.2007 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दरों के आधार पर किया जाना वांछित था। इस प्रकार निर्धारित दरों से अधिक किए गए भुगतान से ₹76,146 की वसूली उचित स्त्रोत से करके न्यास निधि में जमा की जाए। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित दरों से अधिक भुगतान किया गया है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम पदनाम	अधिक भुगतान की गई राशि अर्थात वसूली योगय राशि
1	आयुक्त मन्दिर न्यास	11,506
2	श्री सुमीत खिमटा, सहा0 आयुक्त	2,989
3	श्रीमति मीरा मोहन्ती सहा0 आयुक्त	7,967

4	श्री अरूण शर्मा सहा0 आयुक्त	1,227
5	श्री रूप लाल नेगी, प्रबन्धक	11,973
6	श्री शाहीन वेग, सहायक अभियन्ता	26,014
7	श्री हरीश कुमार शर्मा, सहायक प्रबन्धक	14,470
	कुल योग	**₹76,146**

इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मोबाईल बिलों की राशि का भुगतान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 मोबाईल हैंड सैटस की खरीद हेतु ₹78,170 का भुगतान अनियमित रूप से किया जाना :–

श्री महामाया मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर (हिमाचल प्रदेश) के अवधि 05/2002 से 03/2010 के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मोबाईल हैंउ सैटस की खरीद अनियमित रूप से मन्दिर न्यास निधि से की गई है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :–

पूर्तिकर्त्ता का बिल नम्बर/तारीख	पूर्तिकर्त्ता /फर्म	मॉडल मेक	संख्या	मुल्य	जिस अधिकारी को जारी किया है
SIB/12523 12-03-2003	मै0 अगरनी, एस0सी0 ओ0.359–60/35B, चण्डीगढ़	नोकिया 8310	1 सैट	15820	उपायुक्त सिरमौर
17404 17-10-2003	मैं0 तारा इलैक्ट्रिकलज़ 21, अंसुल रोड दरियागंज, दिल्ली	नोकिया 2100	2 सैट	11600	(1) उप–मण्डल अधिकारी (1) अतिरिक्त जिला दण्ड अधिकारी
491 15-11-2003	मैं0 किरण गिफ्ट 117, लोअर बाजार शिमला	मोटरोला 365	1 सैट	13500	उपायुक्त
302 09-06-2004	मै0 सुरेश टैलक्म अम्बाला कैन्ट	नोकिया 2100	1 सैट	6000	

061 18-08-2006	मै0 कुनाल कम्युनिकेशन नाहन	नोकिया 6070	1 सैट	6300	सहायक अभियन्ता
061 18-08-2006	मै0 कुनाल कम्युनिकेशन नाहन	नोकिया 6070	1 सैट	6300	सहायक प्रबन्धक
061 18-08-2006	मै0 कुनाल कम्युनिकेशन नाहन	नोकिया 6070	1 सैट	6300	प्रबन्धक
27-07-2009	मै0 ट्रीम स्पॉट, नया बाजार, नाहन	नोकिया	1 सैट	8500	उपायुक्त
22-8-2009	मै0 कुनाल कम्युनिकेशन नाहन	नोकिया	1 सैट	3850	प्रबन्धक
			कुल व्यय	**₹78,170**	

उपरोक्त मोबाईल सैटस, मन्दिर अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी किए गए हैं जबकि सरकार द्वारा मोबाईल सैटस की खरीद हेतु पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इस सम्बन्ध में निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के पत्र संख्याः भा0सा0नि–14/97–मन्दिर–4–15974, दिनांक 26.08.2006 जो कि समस्त आयुक्त (मन्दिर न्यास) को जारी किया गया है, में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मोबाईल सैटों की खरीद हेतु पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए जबकि इसके विपरीत इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी/अवहेलना की गई है तथा उपरोक्त ₹78,170 का मोबाईल सैटस की खरीद हेतु अपव्यय किया गया है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों को मोबाईल सैट जारी किए गए थे उनके स्थनान्तरण होने पर उनके द्वारा मोबाईल सैटस को मन्दिर न्यास में वापिस नहीं किया गया है जो कि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता हैं। अतः ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से मूल रूप में मोबाईल सैट वापिस प्राप्त किए जाएं अथवा सैटों के समतल मूल्य की सम्बन्धित से वूसली जी जानी सुनिश्चित की जाए।

17 न्यास द्वारा आबंटित आवासों में लगे मीटर पर न्यास निधि से बिजली के बिलों के रूप में ₹31,501 का अनुचित भुगतान :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियो/अधिकरियों को आवास की सुविधा दी गई है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ब्लाक नम्बर ''बी'' में जी–2 आवास प्रबन्धक द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है तथा उक्त आवास में मीटर संख्या TPI 150005 लगा हुआ है तथा उक्त मीटर के बिजली के बिलों का भुगतान मन्दिर न्यास से किया जा रहा है जबकि आवास पर लगे उक्त मीटर का बिल सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार माह 06/2007 से 05/2011 के दौरान न्यास निधि से उक्त आवासीय बिजली मीटर के बिलों पर ₹31,501 का भुगतान किया जा चुका है तथा जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''7'' के साथ संलग्न है जोकि नियमानुसार स्पष्टतया अनुचित है। अतः ₹31,501 की सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

18 वाहन संख्याः एच0पी0 18–0178 के हस्तांतरण पर ₹25000 कम प्राप्त करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2004–2005 में मन्दिर के सुमो वाहन संख्याः एच0पी0 18–0178 को ₹2,00,000 में डी0आर0डी0ए0 नाहन को हस्तांतरण किया गया था जबकि उक्त वाहन का मुल्यांकन सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (यांत्रिक) द्वारा ₹2,25,000, दिनांक 16.12.2003 को किया गया था। इस प्रकार मुल्यांकन से ₹25,000 कम प्राप्त की गई है जिससे प्रत्यक्ष रूप से मन्दिर न्यास की हानि हुई है। अतः कम प्राप्त की गई राशि के सम्बन्ध में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹25000 की वसूली उचित माध्यम से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 अधिकारियों/कर्मचारियों को आबंटित किए गए आवासों के एवज़ में लाईसैन्स शुल्क के रूप में ₹17,018 की वसूली न करना :–

मन्दिर न्यास द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को न्यास की ओर से आवास सुविधा दी गई है जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''8'' में दिया गया है। आबंटित आवास के उपलक्ष में अधिकारियों/कर्मचारियां से प्रतिमाह श्रेणीवार लाईसैंस शुल्क की कटौती उनके वेतन भत्तों से की जा रही है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें आवास की सुविधा दी गई है, उनमें आबंटित आवासों के एवज़ में नियमानुसार लाईसैन्स शुल्क की कटौती नहीं

की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 167–ऑडिट–07/10, दिनांक 03.03.2011 के उत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अभिलेख में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों से लाईसैंस शुल्क की कटौती नहीं की जा रही है :–

क्र0 सं0	नाम व पद	आवास आबंटन की तारीख	लाईसैंस शुल्क	कुल माह 31.03.10 तक	कुल राशि
1	श्री वीरबल एवं कुलदीप	2002	53	94	4,982
2	श्री बलवान सिंह	01.04.06	53	48	2,544
3	श्री लाल सिंह	01.04.06	53	48	2,544
4	श्री भूपिन्द्र सिंह व नरेश	01.04.06	53	48	2,544
5	श्री देव राज व यादव राम	16.09.09	53	6.5	345
6	श्री सतपाल	जनवरी 2010	53	3	159
7	श्री रूप राम नेगी	मई, 2007	114	35	3,990
					₹17,108

सरकारी आवास के एवज़ में कटौती/वसूली न करना सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः जी0ए0डी0–7(जी)1–12/81, दिनांक 26.10.99 द्वारा सरकार के आदेशों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। "Convey the decision of the Govt. for abolition of provision of rent free accommodation to any officer w.e.f. 01-11-1999 and requested to charge license fee as per category/type of accommodation w.e.f. 01-11-1999". अतः 31.03.2010 तक प्राप्त न की गई लाईसैंस फीस की ₹17,108 की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार आबंटित आवास के एवज़ में लाईसैंस शुल्क की कटौती/वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 ₹6500 के कार स्टीरियों मन्दिर वाहन के अतिरिक्त किसी दूसरे वाहन में लगाने के बारे में :–

अंकेक्षण में पाया गया कि एक सी0डी0प्लेयर/कार स्टीरियों की खरीद मैं0 एस0के0 मोटर्ज, चण्डीगढ़ से उनके बिल संख्याः 8024, दिनांक 13.11.2007 द्वारा ₹6500 में की गई जिसका इन्द्राज

स्टॉक रजिस्टर के पेज संख्या 25 पर किया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्टीरियों श्री छतर सिंह ड्राईवर (जो कि न्यास का कर्मचारी नहीं है) को वाहन संख्याः HP-18-0004 में लगाने हेतु जारी किया गया है। इस प्रकार जिस वाहन में उक्त स्टीरियों को लगाया गया है वह वाहन भी मन्दिर न्यास का नहीं है। अतः ₹6500 के कार स्टीरियों खरीद करके दूसरे वाहन में लगाने के बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा सी0डी0 प्लेयर/स्टीरियो को तुरन्त मन्दिर न्यास के स्टॉक रजिस्टर में वापिस लिया जाए अन्यथा इसकी वूसली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 मन्दिर न्यास के लिए राशन की खरीद के समय मैं0 अन्नपूर्णा भण्डार नाहन को ₹5,840/–का अधिक भुगतान :–

दिनांक 02.03.09 व 23.03.2009 को न्यास द्वारा मैं0 अन्नपूर्णा भण्डार, नाहन को राशन की पूर्ति हेतु ₹1,06,742 व ₹1,29,972 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए सम्बन्धित बिल/वाऊचर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि पूर्तिकर्त्ता को निविदा दरों से अधिक दरों का भुगतान किया गया है जबकि निर्धारित दरों पर बिल की गणना के फलस्वरूप ₹1,01,402 व ₹1,29,472 राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार अधिक किए गए भुगतान ₹5,840 की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 अग्रिम राशियों के समायोजन के समय ₹4,094 के वाऊचरज़ का दो बार समायोजन करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान :–

माह जुलाई, 2006 में श्री शाहीन वेग को अग्रिम ₹40,000 विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत की गई थी, जिसका समायोजन बिल दिनांक 31.03.2007 को ₹40,798 का पारित किया गया है। समायोजन बिल/वाऊचरज़ की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित वाऊचरों को गणना में दो बार लिया गया है :–

(1) M/s Sharma Digital Studio, Kala Amb Bill no. 922	501.00
(2) C/o Limka Fanta, Laddu, Namkeen	293.00
(3) टैन्ट चार्जिज	1100.00
(4) ट्राफी की खरीद	2200.00
	₹4,094.00

इस प्रकार उपरोक्त समायोजन बिल में ₹4,094 का अधिक समायोजन किया गया है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके ट्रस्ट/न्यास खाते में की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 निर्माण मण्डल से सम्बन्धित अनियमितताऐं :–

कार्य का नाम	यात्री निवास का निर्माण (उप शीर्षक :– पहली मंजिल का निर्माण)
कार्य पर कुल खर्च	₹29,28,967
कार्य करने वाली ऐजन्सी	विभागीय (अर्थात मन्दिर न्यास द्वारा)

यात्री निवास (उप शीर्षका पहली मंजिल का निर्माण) से सम्बन्धित कार्य के विभिन्न अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई।

(i) स्टील वर्क बेल्डिड इन बिल्ट–अप–सैक्सन ट्रस्ट एण्ड फ्रेम वर्क (रेलिंग) में गलत फैक्टर लगाने के फलस्वरूप 163.06 किलो ग्राम पाईप (1.5" x 1.5") (जिसका बाजार मुल्य ₹8153 बनता है) की अधिक खपत दर्शाना :–

मन्दिर न्यास के उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित मापन पुस्तिका संख्या टी0टी0टी0/23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 1½'' x 1½" पाईप 452.94 रनिंग मीटर की कुल खपत पेज संख्या 209 पर दर्शाई गई थी जिसे किलोग्राम में परिवर्तन हेतु 2.40 किलो प्रति मीटर का फैक्टर लगाया गया था जबकि वास्तविक परिवर्तन फैक्टर 2.04 किलो प्रति मीटर था जिसके फलस्वरूप 163 किलो ग्राम पाईप की खपत अधिक दर्शाई गई है जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

कुल खपत जो मान पुस्तिका में दर्शाई है :–

452.94 x 2.40 = 1087.06 kgs

कुल खपत जो वास्तव में दर्शाई जानी थी :–

452.94 x 2.04 = 924.00 kgs

अतः अधिक खपत 163.06 कि0ग्रा0

अतः अधिक दर्शाई गई मात्रा 163.06 किलोग्राम पाईप 1½'' x 1½'' की पूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए या इसके बराबर मुल्यांकन करके अपेक्षित राशि जोकि बाजारी मुल्य के

हिसाब में लगभग ₹8153 बनती है की उचित स्त्रोत से वसूली करके मन्दिर न्यास खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) स्टील वर्क (रेलिंग) की गलत मात्रा दर्शाए जाने के फलस्वरूप स्टील की 642 किलो ग्राम मात्रा की खपत (जिसका बाजार मुल्य ₹32,100/– बनता है।) अधिक दर्शाना :–

मापन पुस्तिका संख्या टी0टी0टी0/23 के पेज संख्याः 254 पर लगाई गई खपत सूची (कन्जम्पसन स्टेटमेन्ट) में स्टील वर्क (रेलिंग) की कुल खपत 45.17 क्विंटल अर्थात 4517 किलो ग्राम दर्शाई गई है जबकि मापन पुस्तिका पेज संख्याः 209 के अनुसार कुल मात्रा 38.75 क्विंटल है। अतः इस प्रकार 45.17 – 38.75 = 6.42 क्विंटल स्टील (रेलिंग) की अधिक खपत दर्शाई गई है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त अधिक खपत के रूप में दर्शाई गई मात्रा 642 किलो ग्राम की पूर्ति चूककर्त्ता अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए या इसके बाज़ार मूल्य के बराबर राशि जो लगभग ₹32,100/– बनती है, की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों से करके न्यास खाते में जमा करवाई जाए।

(iii) कॉलम नम्बर 38 में स्टील इन्फोर्समैन्ट की दोहरी गणना के फलस्वरूप 58.40 किलो ग्राम स्टील की अधिक खपत दर्शाना :–

मापन पुस्तिका के पृष्ठ संख्याः 89 में कॉलम नम्बर 38 स्टील इन्फोर्समेन्ट मद का कार्य दर्शाया गया है जिसका माप 20 एम0एम0 स्टील बार हेतु (8 x 4.72) – 14.12 = 23.64 x 2.47 = 58.40 Kg किया गया है जबकि इसी कॉलम हेतु पृष्ठ 90 में पुनः माप (8 x 4.72) – 14.12 = 23. 64 x 2.47 = 58.40 Kg लिया गया है। इस प्रकार दौहरे माप के फलस्वरूप 58.40 किलोग्राम स्टील की खपत अधिक की गई है जिसकी वसूली चूककर्त्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए।

24	कार्य का नाम	ध्यानू भक्त मन्दिर का निर्माण कार्य
	ठेकेदार का नाम	मैं0 संदीप राठौर
	कार्य को पूर्ण करने का वर्ष	2002–2003
	वास्तविक लागत	₹7,51,468

श्री ध्यानु भक्त मन्दिर का निर्माण कार्य श्री संदीप राठौर द्वारा ₹7,51,468 में किया गया उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाये गए में निम्न त्रुटियाँ पाई गई तथा समबन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए :–

(i) कार्य के अनुमान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त निर्माण कार्य के अनुमान का आवश्यक अनुमोदन कर लिया गया था तथा कार्य प्रारम्भ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

(ii) आमन्त्रित की गई निविदा से सम्बन्धित नोटिस ऑफ इन्वाइटिंग टैण्डर/विज्ञापन आदि का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया।

(iii) टैण्डर केस फाईल अंकेक्षण के बार–बार अनुरोध करने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसकी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव में कितने लोगों ने टैण्डर भरा था।

(iv) अंकेक्षण में न तो तुलनात्मक विवरण तथा न ही कार्य का आबंटन पत्र उपलब्ध करवाया गया जिसके अभाव में संविदाकार को बिल में दी गई दरों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(v) उक्त कार्य के चौथे एवं अन्तिम बिल में पाया गया कि न्यास द्वारा संविदाकार को बतौर अग्रिम दी गई ₹2,50,000 का समायोजन इस बिल अर्थात चौथे एवं अन्तिम बिल में दर्शाया गया है परन्तु मापन पुस्तिका में उक्त भुगतान की गई अग्रिम राशि का चलत बिलों के रूप में इन्द्राज नही किया गया है। अतः यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तव में कब–कब और कितनी–कितनी राशि बतौर अग्रिम दी गई थी।

(vi) संविदाकार को पहले चलत बिल से तीसरे चलत बिल तक भुगतान की गई राशि में से नियमानुसार सक्योरिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई है।

अतः सम्पूर्ण प्रकरण मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि समस्त अभिलेख की छान–बीन अपने स्तर पर करके तथा इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करके वांछित अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए।

25 निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय ₹4,18,81,838 से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में :–

मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160, दिनांक 21.02.10 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर न्यास के विभिन्न निर्माण कार्यों/विकास कार्यों के लिए अवधि 04/2002 से 03/2010 के दौरान ₹4,18,81,838 खर्च किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 9(क) में दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई सूचना व प्रस्तुत

अभिलेख में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा समस्त निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर निपटाए गए हैं या निपटाए जा रहे हैं जिस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ आपेक्षित हैं :–

(i) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित नियमों का कड़ाई से पालना नहीं किया गया था अर्थात निर्माण कार्यों के अनुमान तैयार करके इनकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

(ii) निर्माण कार्यों के स्टॉक रजिस्टर में दर्शाई गई खपत की किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।

(iii) निर्माण कार्यो का निष्पादन करवाने हेतु मन्दिर न्यास के मस्टररोलों पर मजदूर, मिस्त्री आदि लगाए गए थें परन्तु मजदूरों द्वारा कितना कार्य किया गया तथा कितनी निर्माण सामग्री की खपत की गई उस का विवरण मस्टर रोल में नहीं दिया जा रहा है जिस कारण किए गए व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त वर्णित आपत्तियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं।

26 निर्माण कार्यों का प्रारूप तैयार करने हेतु ₹3,08,677 का अनियमित भुगतान :–

मन्दिर न्यास के विभिन्न निर्माण कार्यों/विकास कार्यों के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु व समय–समय पर निर्माण से सम्बन्धित प्रारूप कार्यों के निष्पादन हेतु मै0 राकेश मेहता को मन्दिर न्यास के पत्र संख्याः आकाऊंटैंट टी0टी0वी0 (कन्सट्रर्कसन) 2006–62, दिनांक 16.02.2006 द्वारा आर्चिटैक्चरल सर्विसिस हेतु कार्य आबंटित किया गया तथा आचिटैक्चरल सर्विस शुल्क अनुमान लागत का 1.75 प्रतिशत निर्धारित किया गया व दिनांक 23.03.2006 को ₹3,08,677 का भुगतान चैक संख्याः 1721567 द्वारा किया गया था, जिस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियां अपेक्षित है :–

(i) मैं0 राकेश मैहता एण्ड एसोसिएट को बिना टैण्डर आमंत्रित किए सीधे तौर पर अनुमान लागत के 1.75 प्रतिशत शुल्क के आधार पर कार्य आबंटन किया गया था। अतः बिना निविदायें आमन्त्रित किए कार्य आबंटित करना हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों की अवहेलना है, जिस बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) आबंटन पत्र की शर्त अनुसार 50 प्रतिशत की अदायगी प्रारूपकार फर्म को अग्रिम रूप में की जानी थी। अतः निर्माण कार्य के कुल लागत का 50 प्रतिशत शुल्क बिना कार्य के निष्पादन किए बिना ही भुगतान का प्रावधान रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त

आर्चिटैक्ट द्वारा किए गए कार्य के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए तथा मन्दिर न्यास द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आर्चिटैक्ट द्वारा किन–किन परियोजनाओं/निर्माण कार्य के अनुमानों को अन्तिम रूप से निष्पादित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त भुगतान अपने–आप में ही अनियमित है जिस सम्बन्ध में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

27 निर्माण सामग्री खरीद के दौरान ₹44,755.10 का अधिक भुगतान :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2005–2006 में रोकड़ बही के पृष्ठ 280 पर मै0 काबली मल रोशल लाल एण्ड कम्पनी, अम्बाला से लोहे की छत लगवाने हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्री की पूर्ति करने हेतु ₹4,71,667 का भुगतान किया गया था।

बिल संख्याः/दिनांक	निर्माण सामग्री	मात्रा	राशि
8301/28.02.06	(1) एम0एस0 चैनल	90 क्विंटल	2,07,000
	(2) सी0आर0 सीटस	1031.950 किलो	29,720
		योग	**2,36,720**
		वैट (मुल्य वर्धन कर)	29,590
		लोडिंग चार्जिज	400
		कुल योग	**2,66,710**
8302/28.02.06	(1) एम0एस0 ऐंग्ल	38.65 क्विंटल	86,576
	(2) एम0एस0 चैनल	26.00 क्विंटल	59,800
	(3) पाईप 2''	5.65 क्विंटल	15,266
	(4) पाईप पत्ती	7.47 क्विंटल	20,188
		योग	**1,81,830**

वैट (मुल्य वर्धन कर)	22,729
लोडिंग चार्जिज	400
	2,04,957

कुल योग ₹2,66,710 + ₹2,04,957 = ₹4,71,667

उपरोक्त सामग्री की खरीद हेतु प्राप्त की गई निविदाओं (quotations) के तुलनात्मक विवरण के अध्ययन में पाया गया मि मै0 राम किशन चन्द अम्बाला द्वारा दी गई दरें निम्न प्रकार से थी क्योंकि मैं0 राम किशन चन्द ने दरें सभी तरह के करों एवं लेबर खर्च सहित भरी थी तथा यदि निर्माण सामग्री का क्रय मैं0 राम किशन चन्द अम्बाला से उन द्वारा अंकित की गई दरों के आधार पर किया जाता तो न्यास द्वारा वांछित सामग्री का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

(1)	एम0एस0 चैनल	90 quintal @ 2340	2,10,600
(2)	सी0आर0 सीटस	10.31.950 KG @ 2900	29,926.55
(3)	एम0एस0 ऐंगल	38-65 quintal @ 2280	88,122
(4)	एस0एस0 चैनल	26 quintal @ 2340	60,840
(5)	पाईप 2′′	5.65.400 quintal @ 2850	16,113.90
(6)	पाईप पत्ती	7.47.700 quintal @ 2950	21,309.45
		Total	**₹4,26,911.90**

इस प्रकार इस प्रकरण में केवल 4,26,911 की देयता बनती थी जबकि मैं0 कावली मल रोशन लाल एण्ड कम्पनी अम्बाला को ₹4,71,667 का भुगतान किया गया है। अतः मैं0 राम किशन चन्द द्वारा प्रदान निम्न दर सूची की अनदेखी कर मैं0 कावली मल रोशन लाल एण्ड कमपनी को ₹44,755.10 का अधिक एवं अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ठोस तथ्यों सहित नियमित करवाया जाए अथवा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 निर्माण सामग्री की खरीद को सीधे निर्माण कार्य को डेबिट करना तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित स्टोर के खाते CPWD a/c Code के अनुसार न बनाना :–

मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये की निर्माण सामग्री का क्रय मन्दिर की विकास गतिविधियों के लिए किया जा रहा हैं। अंकेक्षण में पाया कि निर्माण सामग्री से सम्बन्धित बिलों को सीधे निर्माणाधीन कार्य को डैबिट किया जा रहा है जबकि लेखा प्रक्रियानुसार खरीदी गई निर्माण सामग्री को पहले स्टॉक खाते को डैबिट किया जाना अपेक्षित था तथा मापन पुस्तिका/मस्टर रोल इत्यादि में उपयोग की गई सामग्री के मूल्य अनुसार सम्बन्धित निर्माण कार्य को डैबिट करके स्टॉक खाते को क्रैडिट कर समायोजन किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा खाते सैन्ट्रल पब्लिक वर्क्स अकाऊंटस कोड के चैप्टर 7 ''स्टोर'' में दिए गए प्रावधानों अनुसार नहीं बनाऐ जा रहे हैं तथा निर्माण सामग्री शेष व इसकी कीमत की वर्ष अन्त में सूचियाँ नहीं बनाई जा रही है तथा वर्ष के अन्त में विद्यमान स्टॉक शेष के मूल्य को मन्दिर न्यास के तुलन पत्र में भी नहीं दर्शाया जा रहा है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है तथा वार्षिक खातों की सही स्थिति भी परिलक्षित नहीं करता है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अधियाचना संख्याः 184/ऑडिट/2009–2010, दिनांक 30.03.2010 द्वारा वर्षवार खरीदी गई निर्माण सामग्री तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष निर्माण सामग्री की सूची प्रस्तुत करने बारे कहा गया था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अधियाचना के सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 ₹1,27,964 की वस्तुओं का स्टोर एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना :–

श्री महामाया मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर के लेखावधि 05/2002 से 03/2010 के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट ''9(अ)(1)'' में दिए गए सामान/वस्तुओं का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया था। खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमिता है तथा ऐसे में वस्तुओं/सामान के Pilferage की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन वस्तुओं का सम्बन्धित स्टॉक/स्टोर में इन्द्राज करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹1,27,964 की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

30 **बिना औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए माह 03/10 में सैनिटरी आईटम की ₹1,38,556 की खरीद छोटे–छोटे बिलों के माध्यम से करने के बारे में :–**

मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर द्वारा दिनांक 17.03.2010 व 31.03.2010 को क्रमशः ₹70,704 व ₹67,852 का भुगतान मैं0 क्वाल्टी हार्डवेयर, काला अम्ब, हरियाणा को सैनिटरी व हार्डवेयर से सम्बन्धित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु किया गया है। भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित वाऊचरों की जाँच के दौरान पाया गया कि न्यास कार्यालय द्वारा वस्तुओं का क्रय छोटे–छोटे बिलों अर्थात ₹5000 से कम बिलों में किया गया है, जबकि अभिलेखानुसार यह समस्त क्रय माह 03/2010 में ही किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि औपचारिक्ताओं/नियमों को दर किनार करने की मंशा से उक्त क्रय छोटे–छोटे बिलों के माध्यम से किया गया हैं इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में वांछित वस्तुओं का क्रय समस्त औपचारिक्ताओं को पूर्ण करते हुए बाजार की न्यूनतम दरों पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 **₹7,15,356 की वस्तुओं का क्रय खुले बाज़ार से बिना निविदायें आमन्त्रित किए करना :–**

निम्न विवरणानुसार ₹7,15,356 का क्रय खुले बाजार से बिना निविदायें आमन्त्रित किए एक ही फर्म से किया गया था जिससे बाज़ारी प्रतियोगिता के लाभ से वंचित होना पड़ा तथा ऐसे में न्यास को वित्तीय हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः बिना निविदायें प्राप्त किए क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार का क्रय निविदाऐं आमन्त्रित करने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाज़ारी दर प्रतियोगिता का लाभ उठाया जा सके :–

दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	राशि	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण
25.01.2005	मै0 शिंगला कारपेटस	10,000	पृष्ठ 242 दिनांक 31.02.05	10 कारपेटस
070 25.02.2006	मैं0 सतनाम शैटरिंग हाऊस नारायण गढ़ (हरियाण)	38,796.40	पृष्ठ 280 दिनांक 31.03.06	शैटरिंग किराये पर लेने हेतु

2580 14.03.2010	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर, काला अम्ब (हरियाणा)	18,000	पृष्ठ 336 दिनांक 31.03.10	पानी की टंकियां 3 नम्बर
2609 16.02.2010	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर, काला अम्ब (हरियाणा)	4,800	पृष्ठ 336 दिनांक 31.03.10	आईरन कटर मशीन
2133 01.02.2010	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर, काला अम्ब (हरियाणा)	15,503	पृष्ठ 316 दिनांक 17.03.10	सैनटरी व हार्डवेयर आईटम
2250 10.02.10	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर, काला अम्ब (हरियाणा)	18,520	पृष्ठ 316 दिनांक 17.03.10	सैनटरी व हार्डवेयर आईटम
07.03.20007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	8,640	–	पेन्ट
03.03.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	8,550	–	पेन्ट
28.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	4,160	–	वेल्डिंग रोड
28.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	416	–	किलें
27.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	11,516 3,776	–	पेन्ट, बोर्ड
06.03.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	6,265	–	सैन्टरी आईटम
02.03.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	5,002	–	पेन्टस
28.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	5200	–	वैल्डिंग रोडस
27.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	9,933 1,152	–	हार्डवेयर व सेन्टरी वस्तुऐं

27.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	8,200	–	पी0वी0सी0 पाईप
27.02.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	8,200	–	डिपलास्ट पाईप
14.03.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	24,773	–	सी0आई0 पाईप
17.03.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एवं मिल स्टोर	11,856	–	सी0आई0 पाईप
06.03.2007	मैं0 इस्पात ईन्टर प्राईज़ेज़ परवाणू	1,34,179	–	एम0एस0 सीटस जी0पी0 सीटस
06.03.2007	मैं0 किस्मत इलैक्ट्रिक	25,794	–	सी0एफ0एल0 लैम्पस
15.03.2007	मैं0 डिकान लाईटिंग (प्रा0) लिमिटेड, चण्डीगढ़	1,90,982	–	विभिन्न बिजली का सामान
02.03.2007	मैं0 हेमकुण्ड प्लाईवुड एण्ड हार्डवेयर स्टोर	23,065	–	बोर्ड, प्लाईबुड फेविकोल
09.03.2007	मैं0 क्वालिटी हार्डवेयर एण्ड मिल स्टोर, काला अम्ब	1,18,078	पृष्ठ 303 31.03.2007	17 नम्बर पानी की टैंकियां
	कुल योग	**₹7,15,356**		

32 मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर में डिपोजिट वर्कस हेतु विभिन्न विभाग द्वारा जमा करवाई गई ₹7,86,022 के समायोजन के बारे में :–

मन्दिर न्यास के अभिलेखानुसार दिनांक 31.03.2010 को निम्न विवरणानुसार ₹7,86,022 मन्दिर न्यास के खातों में जमा थी :–

विभाग/संस्था जिस द्वारा राशि जमा करवाई थी	राशि
उपायुक्त, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	5,16,385.00
रेणुका विकास बोर्ड	2,69,637.00
कुल जमा	**7,86,022.00**

उपरोक्त राशि विभिन्न विभागों/संस्था द्वारा डिपोजिट वर्कस के विरूद्ध जमा करवाये गए थे। चर्चा में अंकेक्षण को बताया गया कि मन्दिर न्यास के सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त डिपोजिट निर्माण कार्य समाप्त किए जा चुके हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि किए गए कार्य को "Assess" करके उपरोक्त प्राप्त की गई राशियों का समायोजन किया जाए तथा सम्बन्धित संस्था/विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा की गई कार्रवाई की अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

33 ₹71,31,431 के बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :–

श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर (हिमाचल प्रदेश) के अवधि 05/2002 से 03/2010 के व्यय हेतु चयनित माहों के लेखों के अंकेक्षण के दौरान परिशिष्ट ''10(1)'' से ''10(13)'' में दर्शाए गए बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की गई राशियों को सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार मूल अभिलेख के अभाव में ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सका। अतः इन बिलों/वाऊचरों को सम्बन्धित अभिलेख सहित सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा व्यय हेतु चयनित माहों से अतिरिक्त अन्य माहों के सम्बन्ध में भुगतान की गई राशियों के बिलों/वाऊचरों का सत्यापन अपने स्तर पर करवाया जाए तथा बिलों/वाऊचरों के अभाव में चूककर्त्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

34 मन्दिर के जीर्णोद्धार कार्य (Miniature work) के लिए ₹1,50,000 अनियमित रूप से भुगतान करना :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मैं0 लेज़र एडवर विजिंग को मुख्य शीर्ष विल्डिंग रिपेयर एण्ड मैन्टेनैंस (उप शीर्षक मन्दिर का जीर्णोद्धार) कार्य के लिए दिनांक 31.03.2004 को ₹1,50,000 बतौर अग्रिम जारी किए गए, जिसमें निम्न आपत्तियाँ पाई गई जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए :–

(i) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 34(2)(1) की अवहेलना करना :–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 34(2)(1) में स्पष्ट किया गया है कि "Where the temple building is more than 100 years old,

the repair will be effected in consultation with the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh Government" परन्तु मन्दिर जिर्णोद्धार कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग से विचार विमर्श (Consultancy) किए बगैर ही उक्त कार्य को करवाया गया है। अतः अधिनियम की अवहेलना करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

(ii) उक्त कार्य का आबंटन से पहले किसी भी प्रकार की औपचारिकताऐं यथा निविदायें प्रकाशित नहीं की गई तथा इस गुणात्मक कार्य को करने के लिए इसी प्रकार के कार्य करने का आबंटी को अनुभव होने बारे जाँच पड़ताल नहीं की गई। इसके अतिरिक्त कार्य की शर्तों अर्थात कार्य प्रारम्भ करने व समापन करने की तिथि इत्यादि को दरकिनार करते हुए सीधे रूप में कार्य का आबंटन किया गया था तथा बिना कार्य शर्तों को तय किए ₹1,50,000 बतौर अग्रिम दी गई थी। इस प्रकार संविदाकार/मैं0 लैजर एडवरटिजिंग को Undue benefit दिए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त फर्म को कार्य का आबंटन अनुमान क्षेत्र के भीतर किया गया है। यदि अनुमान का अनुमोदन नहीं किया गया है तो इस आश्य का औचित्य स्पष्ट किया जाए कि फर्म को किन आंकड़ों के आधार पर कार्य सौंपा गया था तथा उन आंकड़ों की क्या अधिकृति है। उपरोक्त पूर्ण प्रकरण उच्चाधिकारियों/विशेष रूप से सचिव, भाषा एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश व निदेशक, भाषा एवं संस्कृति के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर प्राधिकारियों को ऐसे मामलों में विवके से कार्य करते हुए समस्त औपचारिक्ताएं पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश दिए जाऐं ताकि मन्दिर न्यास के हित में गुणात्मक कार्य के साथ–साथ न्यूनतम दर पर कार्य का निष्पादन हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से भी बचाव किया जा सके।

35 नवरात्रों के मेलों के दौरान श्रद्धालुओं/यात्रियो को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र/बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नवरात्रों के मेलों के दौरान श्रद्धालुओं/यात्रियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाऐं प्रदान करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन व जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, नाहन को अग्रिम राशि जारी की गई थी, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :–

भुगतान की तिथि	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जारी की गई राशि	जिला आयुर्वेदिक अधिकारी नाहन को जारी राशि
08.03.2004	15,000	15,000
19.03.2005	15,000	15,000
17.03.2006	15,000	15,000
18.03.2007	20,000	20,000
30.03.2009	20,000	20,000
कुल योग	**85,000**	**85,000**

उपरोक्त दर्शाई गई राशियाँ बतौर अग्रिम के रूप में जारी की गई थी परन्तु न तो सम्बन्धित विभागों से विहित उद्देश्यपूर्ति हेतु खर्च की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं तथा न ही बिल/वाऊचर प्राप्त किए गए हैं जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त जारी की गई राशिया मन्दिर न्यास के लेखों में अग्रिम के रूप में न दर्शाकर सीधे खर्चे के रूप में डाली गई है जबकि नियमानुसार अग्रिम राशियों को पहले सम्बन्धित विभाग के नाम अग्रिम के रूप दर्शाया जाना चाहिए था तथा खर्चों के बिल/वाऊचर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही समायोजन वाऊचर द्वारा खर्चों को (डेबिट) किया जाना चाहिए था। अतः उक्त त्रुटि के सन्दर्भ में अब आवश्यक सुधार किया जाए तथा उक्त जारी की गई राशि व इस प्रकार अन्य कोई राशि के सन्दर्भ में अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र/बिल वाऊचर प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाऐं तथा भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

36 निविदाएं आमन्त्रित किए बगैर ₹1,69,729 के टैलिविज़न सैटस की खरीद करके अनियमित रूप से भुगतान करना :–

श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर (हिमाचल प्रदेश) के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि मै0 सुरिन्द्रा इलैक्ट्रिकलज़ नाहन को दिनांक 31.03.2005 को उनके बिल संख्याः 8880, दिनांक 23.03.2005 व 893 दिनांक 31.03.2005 द्वारा इक्कीस टैलीविजन सैटस की पूर्ति के हेतु ₹1,69,720 का भुगतान किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित लेखों की जाँच पड़ताल

करने पर पाया गया कि खरीद से पहले निविदाएं/टैण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि टैलिविजन की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की दर प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया गया तथा खरीद सीधे एक ही व्यक्ति/फर्म से की गई है। अतः इस प्रकार भुगतान किए गए मुल्य का सत्यापन नहीं किया जा सका तथा यह पता नहीं लगाया जा सका कि फर्म द्वारा लगाई गई दरें बाजारी मूल्य के बराबर भी अथवा नहीं। इस प्रकार निविदाए आमन्त्रित किए बगैर इतनी अधिक मात्रा में खरीद करना हिमाचल प्रदेश वित्त नियमों की स्पष्टतया अवहेलना है। इसके अतिरिक्त टैलिविजयनों की पूर्ति हेतु मन्दिर न्यास द्वारा आपूर्ति आदेश पत्र भी जारी नहीं किया गया है, जो कि स्वतः ही अनियमित है।

अतः उपरोक्त पूर्ण प्रकरण विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामले में विभागीय तौर पर जाँच करके सुनिश्चित किया जाए कि उक्त खरीद बाजारी दर प्रतियोगिता के दृष्टिगत न्यूनतम दर पर की गई है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त इस खरीद के नियमानुकूलन हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

37 मुख्य भण्डार से जारी 83 पंखों को मन्दिर निर्माण मण्डल/उपमण्डल द्वारा अपने स्टोर/एम0ए0एस0 रजिस्टर में न दर्शाना :–

मन्दिर न्यास के मुख्य भण्डार रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मुख्य भण्डार से निर्माण मण्डल/उप–मण्डल (सहायक अभियन्ता) को विभिन्न तिथियों को निम्न विवरणानुसार पंखों की आपूर्ति की गई है परन्तु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय अभिलेख यथा स्टोर स्टॉक रजिस्टर/एम0ए0एस0 रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई है।

दिनांक	निर्माण कार्य/कर्मचारी जिसे पखें जारी किए गए हैं	पंखों की संख्या
02.04.2005	श्री शाहीन वेग, सहायक अभियन्ता मन्दिर न्यास	14
21.04.2005	न्या टायलेट ब्लॉक	2
03.10.2005	गणना हॉल, मन्दिर	4
14.06.2006	रेन शैल्टर	2
17.02.2007	कनिष्ठ अभियन्ता (डयूटी मैजिस्ट्रेट रूम) (बजाज–7, ओरियन्ट–3)	10

07.03.2007	यात्री निवास (हेवेल–5, बजाज–1, औरियन्ट–1)	7
16.05.2007	स्टाफ कलौनी	4
30.06.2007	सहायक अभियन्ता	12
30.03.2008	पानीपत सराय	4
16.04.2008	इन्फोरमेशन सैन्टर	2
11.07.2008	स्टाफ कलौनी	3
22.09.2008	पानीपत सराय	4
05.09.2009	भण्डार हॉल	5
18.03.2010	यात्री निवास	10
	कुल योग	**83**

उपरोक्त जारी पंखों की एम0ए0एस0 में प्रविष्टि न करना एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस प्रकार इन पंखों के Pilferage की सम्भावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त पंखों के सम्बन्ध में अभिलेख के अवलोकन से यह भी सत्यापित नहीं किया जा सका कि जिस प्रयोजन हेतु उक्त पंखों को जारी किया गया था उसी प्रयोजन के लिए इनको प्रयोग में लाया गया था या नहीं। अतः पंखों को स्टॉक रजिस्टर/एम0ए0एस0 रजिस्टर में दर्ज न करने के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन पंखों की बाजारी मूल्य के बराबर इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

38 हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम, 1984 में दिए प्रावधानो के विरूद्ध 515 पंखे विभिन्न विभागों, संस्थाओं आदि को जारी करना :–

मन्दिर न्यास में दान स्वरूप विभिन्न वस्तुऐं प्राप्त होती हैं जिनकी श्रद्धालुओं/दानकर्त्ता को रसीद जारी कर मुख्य भण्डार रजीस्टर में दर्ज किया जाता है तथा इन वस्तुओं को मन्दिर की विभिन्न गतिविधियों/विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भण्डार रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि दान स्वरूप प्राप्त पखों को विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी विभागों/संस्थाओं आदि को मुफ्त (Free of Cost) जारी किया गया है जबकि दान स्वरूप प्राप्त वस्तुऐं केवल मन्दिर न्यास

को ही सम्पति है तथा हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम, 1984 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इन्हें मन्दिर विकास हेतु ही प्रयोग लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मन्दिर में दान स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को मुफ्त में जारी किया जाए। मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा 515 पंखे (जिनका विवरण परिशिष्ट ''9'' (पृष्ठ 1 से 10) में दिया गया है) सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं को जारी किए गए हैं जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व पंखों को वापिस सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया जाए अथवा इन पंखों के मूल्य के बराबर की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि ऐसी मदें जो मन्दिर न्यास में बहुतायत में प्राप्त हो रही हों तथा निकट भविष्य में इनका उपयोग संभव नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में इन मदों की खुली बोली से निलामी करने बारे विचार किया जाए तथा इनका सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके निष्पादन किया जाए ताकि मन्दिर न्यास को आय प्राप्त हो सके।

39 विविध अग्रिमों के रूप में ₹21,90,384 वसूली हेतु शेष के बारे में :–

मन्दिर न्यास के अभिलेखानुसार दिनांक 31.03.2010 को ₹21,90,384 विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''11'' पर दिया गया है जिसकी वसूली/समायोजन हेतु विशेष कदम उठाये जाऐं व की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त परिशिष्ट में वर्णित बहुत सी राशियां ऐसी है जो बतौर स्टाफ अग्रिम के रूप में दी गई थी तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में दिए गए प्रावधानानुसार एक माह के भीतर ऐसी अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना वांछित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः ऐसे समस्त मामलों के सन्दर्भ में वसूली दण्ड ब्याज सहित नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त परिशिष्ट–11 में अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों की वसूली हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अग्रिम प्रदान की गई असायोजित राशियों के कुछ गम्भीर प्रकरण निम्न प्रकार से पाए गए।

(क) तहसीलदार, नाहन को ₹10,000/– तुरन्त राहत हेतु वर्ष 2004–2005 में अस्थायी तौर पर जारी की गई थी जिसकी वसूली मन्दिर न्यास द्वारा छः वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नहीं की गई है। अतः वसूली हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) वर्ष 2005–2006 में एस0डी0एम0 कार्यालय के कानूनगो के पक्ष में मन्दिर सहायक आयुकत (एस0डी0एम0) के आदेशानुसार ₹99,500/– तुरन्त आपदा राहत हेतु अस्थाई तौर पर प्रदान की गई थी परन्तु लगभग पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी उक्त राशि की वसूली नहीं की गई है। अतः वसूली हेतु मामला शीघ्र सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) वर्ष 2005–2006 में एस0डी0एम0 कार्यालय ई–ग्वर्नेंस सोसाईटी, नाहन को कम्पयूटर फर्नीचर आदि के भुगतान हेतु ₹25,919/– अस्थायी तौर पर मन्दिर न्यास निधि से किया गया था जिसकी वसूली हेतु अतिशीघ्र कदम उठाए जाऐं व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

40 यात्री निवास के कमरों के किराये के रूप में ₹8,25,000 कम प्राप्त करने के बारे में :–

श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के अवधि 05/2002 से 03/2010 के लेखों/अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा दिनांक 05.05.2007 की बैठक में यात्री निवास के कमरों को काला अम्ब स्थित उद्योगपतियों को ₹7000 प्रतिकक्ष मासिक आधार पर किराये पर दिए जाने का निर्णय लिया गया था, (प्रस्ताव का विवरण नीचे उदघृत किया गया है)। उक्त दरें जुलाई, 2007 से प्रभावी मानी जानी थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान अधिकतर कक्षों का किराया ₹7000 के स्थान पर ₹4000 वसूला गया जो निर्धारित दर से ₹3000 प्रति कक्ष प्रतिमाह कम है। चयनित माह में बारम्बार कम वसूली को मध्यनज़र रखते हुए पूर्ण अंकेक्षण अवधि अर्थात मई, 2002 से 03/10 तक के अभिलेखों की पड़ताल की गई जिसमें कुल ₹8,25,000 (आठ लाख पच्चीस हज़ार रुपये मात्र) निर्धारित दर से कम वसूले पाए गए जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 12(1) से 12(16) तक संलग्न है। इस प्रकार निर्धारित दर कम किराया वसूलना एक गम्भीर वित्तीय कुप्रबन्धन का घोतक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि संलग्न पूर्ण विवरण के अनुसार अपेक्षित राशि की सम्बन्धित उद्योगपतियों से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा साथ ही इस प्रकार की अनियमितता की पूनरावृति से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

Note :- Below Mentioned Rate finalized on Date 05-05-2007 Trust"s Meeting द्वितीय मंजिल पर ₹44,35,892 का व्यय रिकॉर्ड हो चुका है तथा जी0आई0सी0 शिमला के माध्यम से करवाए गए अल्युमिनियम कार्यों के बिल प्राप्त होने शेष हैं व बिजली निर्माण तथा विभिन्न कार्यों के अर्न्तगत जारी राशि के बिलों का समायोजन उक्त शीर्ष में किया जाना शेष है। सहायक आयुकत द्वारा सूचित किया गया कि विवाहोत्सव स्थल का निर्माण कार्य प्रगति पर है व लगभग आगामी

4–5 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। अध्यक्ष द्वारा विवाहोत्सव उद्देश्य से निर्मित हॉल स्थानीय त्रिलोकपुर पंचायत निवासियों को ₹2100 एक मुश्त प्रति विवाह की दर अनुमोदित कर दी गई तथा सार्वजनिक प्रयोग हेतु तीनों हॉल का ₹15000 एक मुश्त प्रति विवाह निर्धारित किया गयां इसके अतिरिक्त कन्फ्रैन्स हॉल का सार्वजनिक प्रयोग हेतु ₹1500 प्रति दिन तथा स्वैच्छिक/समाजिक संस्थानों हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाना अनुमोदित किया गया जिसके लिए आयुक्त सक्षम होंगे। सहायक अभियन्ता न्यास के अनुरोध अनुसार यात्री निवास के ग्राऊण्ड फलोर, प्रथम तल व डोरमैट्रिस हेतु किराया निर्धारण निम्नानुसार किया गया।

		प्रतिदिन	**टिप्पणी**
यात्री निवास ग्राऊण्ड मंजिल	1. सूट रूम	₹600 से बढ़ाकर ₹700	इसके अतिरिक्त मासिक पैकेज हेतु वातानुकूलित कक्षों हेतु एक मुश्त दरें ₹6000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹7000 प्रति माह आगामी जुलाई माह 2007 से लागू करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त कार्यों के मैजरमैन्ट बिल यथा शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं ताकि निर्माण कार्यों पर किए गए शुद्ध व्यय बारे जनकारी हो सके।''
	2. वातानुकूलित कक्ष	₹400 से बढ़ाकर ₹450	
	3. डोरमैट्री	₹75 प्रति बैड	
		प्रतिदिन	
यात्री निवास प्रथम मंजिल	1. सूट रूम	₹700 वातानुकूलित	
	2. वातानुकूलित कक्ष	₹450	
	3. साधारण कक्ष	₹300	
	4. डोरमैट्री कक्ष	₹250 तीन बैड वाला	

41 मन्दिर न्यास परिसर के छोटे मन्दिरों की त्रुटिपूर्ण तरीके से सरकारी बोली से भी कम निलाम करने के फलस्वरूप ₹243400/–की हानि :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के अवधि 2002–2003, 2003–2004 एवं 2004–2005 के दौरान ट्रस्ट के परिसर में स्थित ध्यानू भगत मन्दिर, माता मनसा देवी मन्दिर, माता संतोषी देवी मन्दिर, माता अष्टभुजा, भैरव जी, शिव परिवार मन्दिर, मनोकामना वृक्ष, पीपल वृक्ष, प्राचीन शेर मूर्ति, माता काली मन्दिर एवं मुंडन परिसर के चढ़ावे की आमदन (गल्ले) को ठेके पर दिया गया जो ट्रस्ट एवं सरकार के नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ वित्तीय कुप्रबन्धन का भी द्योतक है। परिसर में स्थित उक्त मन्दिरों के गल्ले में चढ़ावों का अनुमान अथवा आंकलन करना सम्भव नहीं है। इस

प्रकार उक्त मन्दिरों के गल्लों में आए चढ़ावों को ठेके पर देने से ट्रस्ट को सम्भावित आर्थिक हानि हुई है।

इसके अतिरिक्त उक्त प्रक्रिया के अनुसार नीलाम किए मन्दिरों से भी ट्रस्ट को लाखों रुपयों की हानि हुई है क्योंकि नीलामी प्रक्रिया के दौरान ठेके को सरकारी बोली से भी कम पर नीलाम करने से निम्नविवरणानुसार ₹2,43,400/– का ट्रस्ट को नुकसान हुआ जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य में ऐसी चूक न दोहराने से परिहार किया जाए। सरकारी बोली में भी कम वसूली गई राशि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	सरकारी बोली	नीलाम हुआ	सरकारी बोली से कम ली गई राशि	कुल कम ली गई राशि
2002–2003	2,50,000	2,50,000	शून्य	–
2003–2004	3,00,000	2,50,000	50,000	50,000
2004–2005	2,50,000	5,50,250	शून्य	–
मन्दिर परिसर में स्थित माता काली के मन्दिर के गल्लों के चढ़ावों के ठेके की नीलामी				
2002–2003	3,50,000	3,00,100	49,900	49,900
2003–2004	3,50,000	4,36,500	–	–
2004–2005	4,50,000	5,03,400	–	–
ध्यानू भगत मन्दिर, मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर				
2002–2003	2,50,000	2,25,000	25,000	25,000
2003–2004	3,00,000	2,25,000	75,000	1,00,000
2004–2005	4,00,000	5,18,300	–	–

मुंडन परिसर की नीलामी

2002–2003	75,000	64,000	11,000	18,500
2003–2004	80,000	72,500	7,500	
			कुल	**₹2,43,400**

42 मन्दिर न्यास में मेलों के दौरान नीलाम किए गए छोटे मन्दिरों से सम्बन्धित नीलाम की ₹4,30,852 संविदाकारों से कम प्राप्त करना :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा अपने परिसर में छोटे मन्दिरों की मेलों के दौरान एक मुश्त राशि हेतु नीलामी करने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों से वर्ष 2004–2005 व 2005–2006 में प्राप्त योग्य राशि को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वसूली योग्य शेष राशि के अतिरिक्त मन्दिर न्यास को उक्त राशि पर ब्याज से भी वंचित होना पड़ा।

वर्ष	संविदाकार का नाम	प्राप्ति योग्य राशि या शेष राशि
2005–2006	श्री बलवन्त सिंह	49,702
2005–2006	श्री राजिन्दर सिंह	60,150
2005–2006	श्री रोशन लाल	2,35,000
2004–2005	श्री कर्म सिंह	86,000
	कुल योग	**₹4,30,852**

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त ₹4,30,852 की ब्याज के साथ गणना संस्था स्तर पर करके इसकी वसूली नियमानुसार सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

43 <u>वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन (Annual Physical Verification)</u> :–

श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर तहसील नाहन, जिला सिरमौर के अवधि 05/2002 से 03/2010 के स्टॉक व स्टोर रजिस्टरों के अवलोकन करने पर पाया कि किसी भी टिकाऊ तथा कीमती वस्तुओं का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया,

जिससे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज टिकाऊ एवं कीमती सामान जैसे सोना, चांदी इत्यादि तथा अन्य स्थाई मदों की सही स्थिति साइज़ एवं मात्रा इत्यादि की न्यास स्तर पर सत्यापना नहीं की गई क्योंकि स्टॉक तथा स्टोर में प्रत्यक्ष रूप में पड़े सामान का स्टॉक रजिस्टर से मिलान करके सत्यापनोपरान्त ही सही स्थिति की पुष्टि की जा सकती है। इस प्रकार स्टॉक तथा स्टोर में पड़े सामान तथा मन्दिर में लगे सामान का वार्षिक सत्यापन न होने से कीमती सामग्री के गबन होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(एल0ए0)सी(15)(14)88/84–खण्ड–2, दिनांक 17.09.2008 के अनुसार वार्षिक सत्यापन आयुक्त मन्दिर द्वारा करवायी जानी सुनिश्चित की जाए।

44 मन्दिर न्यास में प्राप्त आय से कम ₹34,377 रोकड़ बही में दर्शाना :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के अवधि 05/2002 से 03/2010 के चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकों से प्राप्त आय का आमदन पंजिका एवं रोकड़ बही में मिलान करते समय पाया गया कि विभिन्न शीर्षों की रसीद बुकों के अन्र्तगत प्राप्त आय को आमदन पंजिका और रोकड़ बही में वास्तविक प्राप्त राशि से कम दर्शाया गया है अथवा दर्शाया ही नहीं गया है। परिशिष्ट 13(i)तथा(ii) के अनुसार चयनित माह में कम दर्शाई गई राशि का योग ₹34,377/– है।

अतः प्राप्त राशि से कम राशि दर्शाना अथवा आय दर्शाने के कारण स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों एंव कर्मचारियों से कटौती (Recovery) सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास शेष मासों के ऐसे प्रकरणों की अपने स्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अन्य मासों में यदि कम जमा करवाई गई है तो उसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

45 मन्दिर परिसर में मेलों के दौरान सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारियों को बिना आदेश/अनुमति के यात्रा निवास में मुफ्त ठहरने के परिणामस्वरूप ₹75,350 का वित्तीय हानि :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर में अवधि 05/2002 से 08/2010 में न्यास परिसर में लगने वाले मेलों के दौरान सरकारी/अर्ध सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी न्यास परिसर में तैनाती के दौरान यात्री निवास के कमरों में बिना आदेश/अनुमति के बिना किराए के ठहराया गया है जिससे (संलग्न परिशिष्ट 14(1)(2) के अनुसार) न्यास को लगभग ₹75,350 का वित्तीय नुकसान हुआ हैं। इस सन्दर्भ में मेलों के दौरान तैनात किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना किराया अदा किए ठहराने के आदेश न्यास द्वारा अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाये गए। अतः

परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में मेलों के दौरान तैनात किए गए अधिकारियों एंव कर्मचारियों को सरकारी दरों पर अथवा विश्राम गृह की दरों पर आवास उपलब्ध करवाया जाए अथवा ट्रस्ट द्वारा मुफ्त आवास उपलब्ध करवाने सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

46 यात्री निवास के कमरों के श्रद्धालुओं को बिना किराए पर देने पर ₹29,575 की वित्तीय हानि :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के अवधि मई, 2002 से 03/2010 के लेखों/अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि यात्री पंजिका के अनुसार यात्री निवास में किराए पर दिए जाने वाले कमरों को उपायुक्त सिरमौर तथा प्रबन्धक मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा बिना किराए अथवा complementary आधार पर श्रद्धालुओं को ठहरने हेतु उपलब्ध करवाये गए। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा मन्दिर न्यास द्वारा बिना किराए के अथवा complementary आधार पर ठहराने हेतु उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी अधिकारी की अधिकृत नहीं किया गया परन्तु (संलग्न परिशिष्ट 15(1), 15(2) में दर्शाए गए विवरण के अनुसार) उपायुक्त सिरमौर तथा प्रबन्धक मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा यात्री निवास में कमरों का बिना किराए के उपलब्ध करवाया गया जिससे न्यास को लगभग ₹29,575 का वित्तीय नुकसान हुआ। इस प्रकरण में यह भी पाया गया कि यात्री प्रविष्टि पंजिका में टिप्पणी वाले कॉलम में कमरों को बिना किराये/complementary दर्शाया गया है जबकि लिखित रूप में उपायुक्त एवं प्रबन्ध का कोई प्रमाण नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में न्यास को हुई हानि ₹29,575 की सम्बन्धित अधिकरियों/कर्मचारियों से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

47 यात्री निवास तथा पानीपत धर्मशाला का चैक आऊट समय के बाद का किराया प्राप्ति न करना :–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के अधीन संचालित यात्री निवास तथा पानीपत धर्मशाला के अवधि 05/2002 से 03/2010 के दौरान चयनित मासों में जाँच किए गए विज़िटिंग रजिस्टर में पाया गया कि यात्रियों के जाने (Checkout) की प्रविष्टि दोपहर 12:00 के बाद दर्शायी है जबकि किराया 12:00 बजे (Checkout) समय से पहले का लिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ यात्रियों से किराया निर्धारित दरों से कम वसूला अथवा लिया ही नहीं गया है जिसके परिणामस्वरूप न्यास को ₹7,125 का आर्थिक नुकसान हुआ है। अतः सुझाव दिया जाता है कि संलग्न परिशिष्ट 16(1) से 16(3) के अनुसार ₹7125 की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करने के अतिरिकत यात्री निवास तथा पानीपत धर्मशाला के यात्रियों के विज़िटिंग रजिस्टर की समस्त अवधि की विस्तृत जाँच की जाए और वस्तुस्थिति/अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

48 आयकर विभाग से ₹78,410 का टी0डी0एस0 का रिफन्ड न लेना :–

मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर द्वारा आयकर अधिनियम के अर्न्तगत मन्दिर को प्राप्त होने वाली सभी आय कर मुक्त है जबकि मन्दिर न्यास में लगाये गए मोबाईल टावर से प्राप्त आय पर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित वर्षों में स्त्रोत पर आयकर काटकर (टी0डी0एस0) मन्दिर को भुगतान किया गया है।

वर्ष	स्त्रोत पर काटे गए आयकर की राशि
2002–2003	48,999
2006–2007	12,649
2009–2010	16,762
	₹78,410

उपरोक्त राशि की वसूली हेतु मामला आयकर विभाग से उठाया जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

49 रोकड़ बही का रख–रखाव ठीक प्रकार से न करना :–

श्री महामाया बालासुन्दरी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की अवधि 05/2002 से 03/2010 की रोकड़ बही की जाँच पड़ताल के दौरान पाया कि हस्तलिखित रोकड़ बही का रख–रखाव त्रुटिपूर्ण ढंग से पाया गया। यद्यपि मन्दिर न्यास द्वारा ''कम्पयूटर टैली'' द्वारा बनाई गई रोकड़ बही व लेजर राही स्थिति परिलक्षित करती है परन्तु कम्पयुटर टैली द्वारा बनाई गई रोकड़ बही को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है तथा हस्तलिखित रोकड़ बही को ही आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित/हस्ताक्षर करवाया गया है। मन्दिर न्यास की हस्तलिखित रोकड़ बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः–

(i) रोकड़ बही का बैंक शेष सही न दर्शाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में बैंक शेष का वास्तविक बैंक शेष से मिलान नहीं किया गया है तथा रोकड़ बही इन्द्राज वास्तविक आधार पर न करके बैंक शेष कॉलम को वास्तविक बैंक खाते के अनुसार ही दर्शाया गया है जिससे रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष की

सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, तथा परिणामस्वरूप रोकड़ बही में किसी भी वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की अनियमितता के कुछ प्रकरण नीचे दिए गए हैं जिनमें बिना लेन–देन किए ही रोकड़ बही के बैंक कॉलम को घटाया/बढ़ाया गया है:–

दिनांक	वास्तव में जितनी राशि दर्शाई जानी अपेक्षित थी	दर्शाई गई राशि	अधिक (+) या कम (–) राशि
31.03.2007	3,38,947.50	5,64,653.00	(+) 2,25,705.00
03.08.2007	5,68,112.00	5,76,724.00	(+) 8,612.00
14.08.2007	2,19,453.00	2,56,261.00	(+) 36,808.00
11.11.2007	–	–	(+) 9,086.00
31.12.2007	11,10,103.00	11,21,427.00	(+) 11324.00
31.01.2008	1488244.00	1007426.00	(–) 4,80,818.00
01.03.2008	7,10,446.00	7,26,137.00	(+) 12,691.00
01.04.2008	2,66,560.00	2,82,416.00	(+) 15,856.00
01.07.2008	48,37,783.26	48,59,465.00	(+) 21,682.65
01.09.2008	56,58,509.91	56,03,485.91	(–) 55,024.20
22.09.2008	61,35,995.71	61,52,576.71	(+)16,581.00
12.10.2008	84,01,025.71	81,70,706.71	(–) 23,0319.00
15.10.2008	–	–	(–) 2,800.00
17.10.2008	76,78,083.71	76,71,083.71	(–) 7,000.00
04.11.2008	–	–	(–) 6,592.00

01.12.2008	73,45,729.71	76,28,020.71	(+) 2,82,291.00
01.01.2009	82,31,798.71	83,25,199.71	(+) 93,401.00
27.02.2009	43,08,656.71	43,15,439.71	(+) 6,783.00
01.07.2009	1,29,32,830.71	1,31,62,553.71	(+) 2,29,723.00
01.10.2009	1,60,96,988.71	1,60,98,504.71	(+) 1,516.00
01.12.2009	1,40,37,097.71	1,40,42,798.71	(+) 5,701.00

उपरोक्त प्रकरणों से यह स्वतः प्रतीत होता है कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष का वास्तविक बैंक शेष से समय–समय पर मिलान नहीं किया गया था तथा न ही मन्दिर न्यास की रोकड़ बही को सत्यापित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आन्तरिक पड़ताल (Checks) किए गए थे तथा बैंक खाते में दर्शाये गए शेष को मिलान किए बगैर ही रोकड़ बही के बैंक शेष कॉलम में लिखा गया था जो वित्तीय लेखा नियमों का उल्लंघन है तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता का न्यौता देता/दे सकता है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह पूर्ण विवरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणी (Bank Reconciliation Statement) तैयार की जाए न कि वर्ष के समस्त लेखों की त्रुटियों को अन्तिम लेखे तैयार करते हुए ही ठीक किया जाए।

(ii) रोकड़ बही का सत्यापन न करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ बहियों का सत्यापन नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार रोकड़ बही को हस्ताक्षरित करके सभी प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाना वांछित था :–

दिनांक 17.07.2004 से 22.07.2004 तक

दिनांक 04.03.2005 से 31.03.2005 तक

दिनांक 15.05.2009 से 10.06.2009 तक

उपरोक्त तिथियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ बही का सत्यापन न किए जाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

50 **लधु आपत्ति विवरणिका :–** लधु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है तथा समस्त लधु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया है।

51 **निष्कर्ष :–** श्री महामाया बालासुन्दरी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर के लेखाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है। परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में कुल प्राप्तियों व कुल अदायगियों का लेखांकन करके प्रत्येक माह के अन्त में इसका मिलान कर इसे बैंक/रोकड़ शेष के साथ मिलान किया जाए तथा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री का स्टॉक का भी समय–सयम पर सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त आभूषण, सोने, चांदी की मदों का सही लेखांकन तथा तत्समबन्धी स्टॉक रजिस्टर के उचित रख–रखाव की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)209/2000–पार्ट,–7790–7795 दिनांक 12.10.2012, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–

1. मन्दिर अधिकारी श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीर्घ भेजें।
2. उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)।
3. मण्डल अधिकारी सिरमौर एवं उपाध्यक्ष, महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान सचिव (भाषा एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
5. निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
6. श्री अनिल मेहरा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.............................।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

(अनूप कुमार घारू)